ले लिया। कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप थे, सन् १९७२ से। लेकिन सुनने में आया है कि वहाँ के गर्वनर ने अपने हर सम्बोधन में उनकी तारीफ की है। उधर कर्नाटक को आप देखे, वहाँ की काँग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय तिवारी जी इसका कैसे जवाब दे सकते हैं।

चौधरी चरणसिंह—छोड़िये अन्य प्रदेशों को। मैं यह सही कह रहा हूँ कि वहाँ पर रेजोल्यूशन पास होता है चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध, लेकिन कोई एक्सन (कार्यवाही) नहीं की जाती है। जो गलती पायी गयी, अकुशलता पायी गयी, वह केवल दो सरकारों में पायी गयी है, एक गुजरात और दूसरी तामिलनाडु में। न यू० पी० में, न पंजाब में, न हरियाणा में, न बिहार में। तो इससे क्या मतलब निकला ? यह कि आपकी इच्छा हो कि देश में एक दलीय शासन हो। लिहाजा दूसरी पार्टी के लोगों को लालच देकर, फुसला कर पार्टी में शामिल कर लिया जाये। बराबर प्रोपेगैन्डा किया गया कि गुजरात की सरकार गिरेगी और आखिर में गिरा ही दी। जनवरी में पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से दो या तीन दिन पहले सचिवालय के सामने इन्दिरा जी ने विपक्ष को ध्वस्त करने, उनके मिटा देने का आवाहन किया। मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में डेमोक्रेटिक लीडर्स (लोकतान्त्रिक नेता) यह दृष्टिकोण अपनाते हैं या कहते हैं कि विपक्ष को समाप्त ही कर देना है ? ५ जनवरी का अखबार निकाल लीजिये, हमारे पास इस वक्त नहीं है। मैंने पढ़ा हुआ है एक बार नहीं दो बार कहा। किसी इन्डिपेन्डेन्ट (निर्दलीय) मेम्बर ने श्रीमती जी से यह पूछ ही लिया कि आप विपक्ष वालों से बात क्यों नहीं करतीं ? उन्होंने (इन्दिरा जी ने) कहा कि मैं कभी इनसे बात नहीं करूँगी। यह रवैया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। फिर जब अगले रोज लोगों ने कहा कि आपका इस तरह से मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने फरमाया कि 'आई एम प्रिपेयर्ड टु होल्ड ए डायलाग प्रोवाइडेड दि अपोजीशन क्रियेट्स प्रापर ऐटमासफियर फार ए डायलाग ऐण्ड डज नाट आफर एनी आब्सट्रक्शन टू गवर्नमेंट्स वर्किंग' (मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते विपक्ष ऐसी बातचीत के लिए उचित वातावरण तैयार करे और सरकार की कार्य प्रणाली में कोई बाधा न डाले)। उस पर एच० एम० पटेल, जो जनता फ्रन्ट (मोर्चे) के चेयरमैन हैं और गोरे साहब, उन्होंने फौरन इन्दिरा जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आज आपने यह कहा है कि आप बात करने को तैयार हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि इसके लिए हम उचित वातावरण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं? जहाँ तक आपने यह कहा कि हम लोग बाधा डालते रहते हैं प्रशासन में, सो उसकी मिसाल हम जानना चाहते हैं। हम केवल विपक्ष दल के कर्त्तव्यों को पूरा करते हैं। आपकी जिन नीतियों से देश को नुकसान पहुँच रहा है, उनकी हम आलोचना करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन हिंसा हमने कहाँ की है, क्या बाधा डाला है ? आज तक इस पत्र का जवाब नहीं आया है। यही नहीं, जयप्रकाश जी ने एक लेटर लिखा। गोरे साहब ने उनसे कहा, तो उन्होंने इतना मुलायम लिख दिया कि बहुत ज्यादा। अगर मैं होता तो उनको लिखने न देता। इस पत्र की प्राप्ति की सूचना तक भी नहीं भेजी गयी। यह नक्शा है ! यही नहीं, जिस आचार्य के नाम का फायदा उठा रहीं थीं कि वह इमरजेंसी को अनुशासन-पर्व कहते हैं। बसों पर, रेलों पर, दुकानों पर यह पोस्टर लगवा दिये। पर बाबा तो पोलिटिकल नहीं हैं—सन्यासी हैं। निन्दा होती है अपोजीशन की, जब बाबा यह कहते हैं कि इमरजेंसी अनुशासन-पर्व है। अब बाबा यह कहते हैं कि हमने यह नहीं कहा था। तो जितने पोस्टर लगे हुये थे दिल्ली के बसों पर और दुकानों पर वह मिटाये गये। इस तरह आपने खूब फायदा उठाया उनके नाम का। लेकिन जब आचार्यों की कान्फ्रेंस करते हैं और वह गैर-राजनीतिक लोग, जिनमें एक्स चीफ जस्टिस हाई-कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के भी हैं, रिटायर्ड वाइस चान्सलर्स, जर्नलिस्ट और लिट्रेटियोर (पत्रकार और साहित्यकार) हैं और किसी का कोई राजनीतिक लगाव नहीं है, उन सब ने जो रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) पास करके भेजा, आपने पढ़ा होगा, हर मामले या बात में जो विपक्ष ने कही है, उन सब में उन्होंने विपक्ष का समर्थन किया। सर्वसम्मत प्रस्ताव सबके मस्विरे से पारित हो गया। उन्होंने उसमें यह कहा कि आप जल्दी इस मसले को सुधारें, ताकि कोई अप्रिय घटनायें घटित न हों; जिसका मतलब है ताकि हिंसा न हो जाये। क्योंकि हर तरीके से किसी कौम को, किसी देश को दबाया जाता है, तो हिंसा होती है। (व्यवधान) अच्छा महोदय,

आचार्य लोगों के यूनानिमस रेजोल्यूशन (सर्वसम्मत प्रस्ताव) को उनके पास भेजा जाता है और श्री मन्नारायण जी जाते हैं, जो गवर्नर रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन के मेम्बर भी रह चुके हैं और काठमाँडू में राजदूत रह चुके हैं। दस दिन तक वक्त माँगते हैं। टेलीफोन आप खुद नहीं उठाती हैं। हमेशा आदमी जवाब देता है कि बाद में आपको फोन पर समय दिया जायेगा। दस रोज इन्तजार करके लौट गये। संक्षेप में फिर कहूँगा, पहिले इन्दिरा जी ने कहा कि काँग्रेस जन को चाहिए विपक्ष को कुचल दें। अगले रोज जब लोगों ने कहा कि अपोजीशन से कुछ बात कीजिये तो कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। जब लोगों ने बहुत कहा तो कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, उसके लिए वातावरण तैयार कीजिये। लेकिन अपोजीशन की तरफ से जो लेटर लिखा गया, उसका एकनालेजमेंट (प्राप्ति सूचना) तक न किया गया। जे०पी० ने जो लिखा था उसका जवाब तो दे देतीं। जिस बाबा की बड़ी तारीफ रही, और है, उनसे मसविरा करके लोगों ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। वे सब गैर राजनीतिक व्यक्ति थे और प्रस्ताव को लेकर एक आदमी गया, लेकिन उससे दस दिन तक बात तक नहीं की गयी, इतना भी सौजन्य नहीं। यह तो नशा है, यह नशा लम्बे समय तक नहीं टिकेगा। अगर इस तरह से होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। जो कुछ भी करो इसाफ के साथ करो। हम चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन आज तो आप चुनाव के लिए भी तैयार नही हैं। फिर हमारा दोष क्या है ?

अब इन्दिरा जी का बीस सूत्री-प्रोग्राम लीजिये ? यह काँग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, गवनमेंट का प्रोग्राम नहीं है, हर जगह यही पढ़ने को मिलता है कि इन्दिरा जी के प्रोग्राम को पूरा करके उनके हाथ मजबूत करो। अगर आपको उनके हाथ मजबूत करना ही था, तो लिखते कि काँग्रेस के हाथ मजबूत करो। अगर आप कहीं डेवलपमेंट ब्लाक (विकास क्षेत्र) में जाइये, जहाँ कोई छोटी सड़क बनी या ट्यूबवेल है, तो वहाँ यही लिखा मिलेगा कि इन्दिरा जी के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह बनाया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य सदन में शान्ति रखें।

चौधरी चरणसिंह—अपने दौरे में एक जिले में ही नहीं, मैंने अनेक स्थानों पर लिखा हुआ देखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—यह कौन सा तरीका है इस तरह से आपस में बातचीत करने का। यह नहीं होना चाहिए।

चौधरी चरणसिंह—इन्दिरा जी के बीस सूत्रीय-कार्यक्रम के सिलसिले में तथा उनकी हुकूमत के दस साल पूरे होने पर एक उत्सव मनाया गया। किसी भी लोकतान्त्रिक देश में ऐसा हुआ ? डिवेलरा सोलह वर्ष तक आयरलैंड के प्रधान मन्त्री रहे, ग्लैडस्टन भी दस साल तक लीडर रहे, लेकिन कहीं भी इस तरह का कोई उत्सव नहीं हुआ। नौजवान धर्मवीर जी या कौन हैं, वे नाराज न हों, वे इस बात को सोचें। अगर प्राइम मिनिस्टर के अपने निजी तौर से या पार्टी की तरफ से वह दिन मनाया जाता, तो इसमें कोई हरज नहीं था। लेकिन अपने सार्वजनिक उद्योगों को गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को एक बना दिया, क्यों ? आखिर आप किधर को जा रहे हैं ?

एक आवाज—उसमें हर्ज ही क्या है ?

चौधरी चरणसिंह—हर्ज है। यह कोई डेमोक्रेसी नहीं है। राजा की वर्षी मनायी जाती है, रानियों की वर्षी मनायी जाती है कि उन्होंने दस साल तक राज्य किया। किसी भी डेमोक्रैटिक कन्ट्री में आज तक यह सुनने को नहीं मिला है कि इस तरह से कोई दिन मनाया गया हो। इस बारे में आप माननीय नारायण दत्त जी से ही पूछ लें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने स्टेट और पार्टी को एक बना दिया इन्दिरा जी के साथ। इसको आप सोचें। जेल में मुझे पढ़ने को मिला मिल्क प्राइज कट आन दि आकेजन आफ प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गाँधी बर्थडे (प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी के जन्म दिन के शुभ-अवसर पर दूध के मूल्य में कमी) इसका मतलब यह हुआ कि किसी राजा के लड़का पैदा हो गया, तो इसलिए छुट्टी रहेगी। मैं पूछता हूँ कि क्या इसमें हर्ज नहीं है ? और फिर आप मुझसे बहस करते हैं।) व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—श्री धर्मवीर जी, आप तो एक जिम्मेदार सदस्य हैं; सदन की मर्यादा कायम रखें और बैठने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष-आप लोग बैठने की कृपा करें। आप बोलेंगे, तो कैसे काम चलेगा ?

चौधरी चरणसिंह–मैं मिल्क-प्राइस के बारे में कह रहा था।

'Milk-price cut out on P. M. 's Birth-day. Banglore, Nov. 18th : The state owned Banglore Dairy today further reduced the price of milk from Rs. 1.90 to Rs. 1 80 per litre to mark the birth-day of Mrs. Indira Gandhi to-morrow !'

प्रधानमन्त्री के जन्म दिन पर दूध के मूल्यों में कमी

बंगलौर नवम्बर १८ : कल श्री मती इन्दिरा गाँधी के जन्म दिन की प्रतिष्ठा में सरकारी बंगलौर डेरी ने आज दूध के मूल्यों में और कमी करके रु० १-९० से रु०१-८० प्रति लीटर कर दिया।

यह टाइम्स आफ इण्डिया में निकला है। सुन लीजिये। इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। लेकिन दिया जा रहा है। किया यह जा रहा है कि एक ही आदमी है, जो हिन्दुस्तान का मालिक है। यह लोकतन्त्र नहीं है, इसी सिलसिले में मेजर जनरल हबीबुल्ला खाँ का, उनकी धर्मपत्नी यहाँ मेम्बर भी थीं, एक पत्र उस सिलसिले में पढ़ना चाहता हूँ; सुन लीजिए।

श्री ऊदल–अब लगता है कि वह समय नहीं आने वाला है।

चौधरी चरणसिंह–यही मुझको भी लगता है। लेकिन बात अपनी कहे देता हूँ।

श्री ऊदल– आप कहिये।

चौधरी चरणसिंह– मैं यह बता दूँ, जो इसका मजमून है।

एक मा० सदस्य – ऐसे ही बता दीजिए, मान लेंगे।

चौधरी चरणसिंह – मान लेंगे तो बड़ी भलमनसाहत है आपकी।

मैं कह रहा था कि लेटर लिखा है मेजर रणजीत सिंह को जो बस्ती के हैं। हमारी पार्टी के मेम्बर हैं। उन्होंने यह मूलपत्र मुझको दिया हुआ है। मैंने उसको साइक्लोज-टाइल्ड कराया था। दो कापी मैं लाया था, पर कहीं रह गयीं हैं। उसमें जो लिखा था वह यह है कि एक सेल बनायी गयी, नाम है एक्स सर्विसेज यू० पी० काँग्रेस कमेटी सेल। मैं इसका कन्वीनर (संयोजक) मुकर्रर हुआ हूँ, प्रदेश भर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप गोरखपुर डिवीजन के संयोजक हो जाँय और इस सिलसिले मे मुझसे बात करलें। इसमें जो प्वाइंट्स लिखे हुए हैं वह हैं जी० ओ० सी० इन-सी०, सेन्ट्रल कमाण्ड और फिर हैं ए० ओ० सी० इन-सी० सेन्ट्रल एयर कमांड जो सर्विस आफीसर हैं। आप अपने इलेक्शन के ख्याल से उनका (अवकाश प्राप्त सैनिकों का) एक संगठन बना रहे हैं। नाम है एक्स सर्विसेज यू०पी० काँग्रेस कमेटी सेल। एक सेल बनाकर आमन्त्रित कर रहे हैं उन उच्चाधिकारियों को, जो आज सर्विस में है। अगर सेल किसी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं रखती, तो कोई उसमें हर्ज नहीं था। लेकिन नहीं, वह सेल है काँग्रेस-पार्टी सेल। मेजर हबीबुल्ला खुद काँग्रेसी हैं। यह कैसे मुमकिन हुआ। आप प्रशासन और आर्मी से फायदा उठाना चाहते हैं पोलिटिकल पावर में आने के लिए। जो गलत है। आप राज्य और पार्टी को एक कर देना चाहते हैं और हम एक पार्टी का रूल (शासन) देश में लाना चाहते हैं।

अब यहाँ प्रेसीडेन्ट (राष्ट्रपति) की भी कोई इज्जत आपने नहीं छोड़ी है। प्रेसीडेन्ट ऐसा बनायेंगे, जो अत्यन्त विवादास्पद आदमी हो। बड़े-बड़े पदों पर ऐसे आदमी होने चाहिए, जो विवाद के ऊपर हों या जिनके विरुद्ध व्यक्तिगत कोई बात न कह सके या कम कह सके। लेकिन नहीं, ऐसे को बनायेंगे जो अपनी मुट्ठी या जेब में हो। चाहे किसी कमीशन की रिपोर्ट ही उसके खिलाफ क्यों न रखी हो और चाहे जैसे कागज पर उससे दस्तखत करा लेंगे। दुनिया में किसी राज्य के अध्यक्ष के जरिये ऐसी इमरजेंसी स्वीकृत नहीं हो सकती थी, जो हमारे यहाँ हुई है। इसके पहले पार्लियामेंट से एक विधेयक नामंजूर हुआ। उसी समय एक

अध्यादेश भेज दिया जाता है, हवाई जहाज से, प्रेसीडेंट के पास, जो दिल्ली से बाहर थे और तुरन्त उस पर मोहर लग जाती है राष्ट्रपति की। इस तरह जो प्रतिष्ठा प्रेसीडेंट के पद की है वह आप स्वयं गिराते हैं।

संविधान-सभा में जब संविधान के अनुच्छेद ३५७ पर, जिसमें किसी प्रदेश के शासन को अपने हाथ में लेने और विधान-सभा तथा मन्त्रि-परिषद को बर्खास्त करने का प्राविधान है, बहस हो रही थी, तो डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था कि :–

'If they are at all brought into practice, I hope the President, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administration of the province.'

यदि यह प्राविधान कभी प्रयोग में आते हैं, तो मुझको आशा है कि राष्ट्रपति, जो इन अधिकारों का धारक है, किसी प्रदेश के शासन को निलम्बित करने के पहले पर्याप्त सावधानी बरतेगा। परन्तु व्यवहार में ऐसी कोई सावधानी बरती नहीं जा रही है।। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा था कि वह विधान-सभा का चुनाव लोक-सभा के साथ कराना चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव अगर मुल्तवी होता है, तो विधान-सभा का भी होना चाहिए, परन्तु श्रीमती इन्दिरा गाँधी को यह मजूर नहीं था और प्रदेश की गवर्नमेंट को आनन-फानन में बर्खास्त कर दिया।

इसी प्रकार इमरजेंसी की बात है। संसार भर में कदाचित इमरजेंसी का प्राविधान केवल ब्रिटेन में है, सो भी किसी युद्ध के दौरान। युद्ध का अन्त हुआ और उसके एक या तीन महीने के अन्दर आपात्कालीन स्थिति स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसके सम्बन्ध में डा० अम्बेदकर ने कहा था –

"Emergency provision will be a dead letter in practice"

आपात्स्थिति का प्राविधान व्यवहार में नहीं के बराबर होगा। परन्तु आज अपने देश में एमरजेंसी को लगे हुए नौ महीने हो गये।

इलेक्शन कमीशन का भी यही हाल है। दो-दो साल तक किसी क्षेत्र में इलेक्शन नहीं करवायेगा। जिला विजनौर में डेढ़ साल से नहीं हुआ। लेकिन जहाँ चाहेंगे, वहाँ दो महीने में करवा देंगे। जहाँ सत्तारूढ़-दल के मुआफिक होगा, वहाँ करा देंगे। सालीसिटर एण्ड अटार्नी जनरल भी इसी तरह हैं। जो चाहें परामर्श ले लें, चाहे चीनी के कारखानों के राष्ट्रीयकरण की बात हो या और कोई बात हो। वाइस चांसलर से भी यही उम्मीद करते हैं। काँग्रेस का लड़का शान्ति भंग करे तो निकाला नहीं जायेगा। लेकिन जनसंघ का लड़का करे, तो निकाल दिया जायेगा। बहुत विवरणपूर्ण मैं दिल्ली की बात बतला सकता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है। आपकी क्या इज्जत है धर्मवीर जी ? और मुख्य मन्त्री जी की क्या इज्जत है ; क्या पार्टी चुनती है लीडर को ? मुख्यमन्त्री आपके द्वारा बनाये या हटाये नहीं जाते। चीफ मिनिस्टर बनते या बिगाड़े जाते हैं दिल्ली में। हमारे माननीय बहुगुणा जी गये दिल्ली में। एक दिन विधान-सभा में मुझसे कह रहे थे कि हमने आपका इन्तजाम कर दिया कि आप वहीं (विरोध में) बैठे रहेंगे। कोई हर्ज नहीं। जो पद्धति है, वैसी है, उसमें अगर हम बैठे रहेंगे, तो कोई हरज नहीं। अगले दिन मलिक साहब (भारतीय लोक दल के विधायक) ने उत्तर दिया कि बहुगुणा जी आप नौकर हैं, जिस दिन मालिक चाहेगा निकाल देगा। उनके साथ हमदर्दी है। नहीं था प्राइम मिनिस्टर को अधिकार कि दबाव डालकर उनसे इस्तीफा ले लें। नहीं है अधिकार कि पोलिटिकल पार्टी को कठपुतली की तरह चलायें। हरियाणा में बनारसीदास हो गये और यहाँ नारायणदत्त तिवारी हो गये चीफ मिनिस्टर। तो आप नामजद किये गये हैं; जिस तरह से सूबेदार हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय इस विषय में दो बात और कहूँगा। नेशनल हेराल्ड अखबार को हम सभी जानते हैं। काँग्रेस का ही कायम किया हुआ है। काँग्रेस वालों ने जिलों से पैसा इक्ट्ठा करके उसको बनाया। उसमें अब तक शीर्षक था 'फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेन्ड इट विद आल योर माइट' अर्थात् 'आजादी खतरे में है, इसकी शक्ति भर रक्षा करो।' आज यह शीर्षक नहीं रह गया है।

यही कह रहा हूँ। आपके लीडर ने आपको निकलवा

दिया। क्यों निकलवा दिया, आज क्या मौका था इसको निकवाने का ? कारण यह था कि पढ़े-लिखे लोग यहअर्थ न लगालें कि 'ओइंग टू दिस इमरजेंसी फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेन्ड इट विद आल योर माइट।' (आपात्स्थिति के कारण आजादी खतरे में है, इसकी शक्ति भर रक्षा करो)। जो दिमाग-परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, इस शीर्षक को हटवाना उसी का अंग है।

दो दिन तक अगर कोई अखबार श्रीमती जी का फोटो नहीं निकालेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट हो जायेगा। 'ईस्टर्न इकोनामिस्ट' मशहूर अखबार है। उसने एक तस्वीर महात्मा जी की निकाली। वह महात्मा जी के नोआखाली की यात्रा की तस्वीर है। वह सेंसर हो गई। सेंसर-बोर्ड ने उसको निकाल दिया, इसलिए कि 'इट इज लाइकली टू बी मिसइण्टरप्रेटेड' (इसका अनुचित अर्थ लिया जा सकता है)। अर्थात् अब गाँधी जी का अपने देश में कोई स्थान नहीं रह गया है और अपनी लकुटिया लेकर अब विदेश जा रहे हैं। परन्तु सम्पादक ने इसका विरोध किया और सुनते हैं कि उसने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से देश का मास्तिष्क बनाया जा रहा है। अभी पायनियर में एक खबर निकली है। वह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं केवल देश के हित मे कह रहा हूं। इदिरा जी की माता जी पर केस चला सन् १९३१ मे और वह जजमेंट अब निकाल कर प्रदर्शित किया जा रहा है, स्टेट एक्जीविशन (सरकारी प्रदर्शनी) में। वही परिवार, जो अब तक हुकूमत करता आया है, वही आगे भी करेगा। देश के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया है। सन् १९३१ की बात है। कितने लोग जेल गये होंगे। गरीब औरतें, गरीब आदमी और कितने देशभक्त, लेकिन नहीं, जो प्रदर्शित किया जाये वह केवल एक लेडी का, प्रधानमन्त्री की माता जी का। मैं जानना चाहता हूँ और लोगों के नाम व काम का प्रर्दशन सरकारी प्रदर्शनी में क्यों नहीं किया गया ? ऐसे भी व्यक्ति होंगे, जिन्होंने कमला नेहरू से भी अधिक त्याग किया होगा। इस प्रदर्शनी में इन्दिरा जी की माता जी के खिलाफ जो जजमेंट शायद सन् १९३१ में हुआ था वह भी रखा गया है, वह जजमेंट १२/३/७६ के पायनियर में सारा ही दे दिया गया है। परन्तु इसका आखिरी वाक्य ही रेलेवेन्ट (प्रासंगिक) हैं :-

'Right below this and bracing Kamla Nehru is another small item conveying Pt. Moti Lal Nehru's concern over the development and the arrangements made by him for looking after his young grand daughter, Indira.'

आप देखेंगे नेहरू जी के संदेश के पहले पंडित मोतीलाल नेहरू का भी मैसेज है ठीक उसके नीचे। ये सब इक्जीविशन (प्रदर्शनी) में रखे गये हैं— अखबार के ये शब्द इस प्रकार हैं :—

(ठीक उसके नीचे और कमला नेहरू के चित्र से लगा हुआ एक और चित्र है जिसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू की अपनी अल्पायु पौत्री इन्दिरा की देखभाल करने के लिए जो प्रबन्ध उन्होंने किये उनकी प्रगति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है)। दादा को इतनी फिक्र थी और आप लोगों को भी फिक्र करनी चाहिये। हमारी प्रधानमन्त्री जी का तप व तपस्या कितनी भारी है।

अध्यक्ष महोदय ! मैं अब मुख्य मन्त्री जी पर चार्ज लगाता हूँ। क्यों चीफ मिनिस्टर संजय गाँधी का स्वागत करने जा रहे हैं? संजय गाँधी हमारी बहिन जी के लड़के हैं। २५-३० वर्ष की उम्र होगी। मैंने फोटो देखा उससे वह ऐसे लगते हैं। मालूम नहीं कैसे वह एकदम आसमान में पहुँच गये। इतना ऊपर पहुँच गये जैसे कि प्रधानमन्त्री के बाद वही दूसरे नेता हों। कितनी खबरें उनके बारे में निकलती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। क्यों ? यह सच्ची डेमोक्रेसी है कि प्रेस पर इतना जबर्दस्त नियंत्रण हो। क्या प्रेस खुश हो कर ये खबरें देता है ? ऐसा नहीं है, उसे छापना पड़ता है, आर्डर उसे दिया जाता है। संजय हो गये यूथ-काँग्रेस के नेता। यूथ-काँग्रेस की मेम्बरशिप का कोई बाकायदा रजिस्टर नहीं होगा। रोज यह व्याख्यान देते फिरते हैं। वरिष्ठ काँग्रेसमैनों को डाँटते फिरते हैं। यू० पी० के विधायकों को चण्डीगढ़ में काँग्रेस मीटिंग में बुरी तरह डाटा कि क्यों फिरते हो इधर-उधर, गाँवों में जाकर काम करो। गाँव के बड़े एक्पसर्ट (विशेषज्ञ) हो गये हैं रातोरात। सबको उपदेश देते फिरते हैं, भले ही खुद गाँव में कभी न गये हों। जो आदमी मिलता है, उससे कहा जाता है कि गाँव जाइये, गाँव जाइये और वह फटकार भी लगाते हैं कि बातें कम काम ज्यादा करो। यू०पी० वालों से कहा कि मिनिस्टरी बनती

रहेगी, गाँव में जाकर काम करो। उस वक्त तक नारायणदत्त तिवारी की नियुक्ति नहीं हुई थी, स्वतन्त्र भारत में दूसरे पृष्ठ पर खबर छपी। मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा संजय के आगमन तथा स्वागत के बारे में यह खबर छपी थी। संजय जी आ रहे हैं और २८ तारीख को फलाँ-फलाँ प्रोग्राम होगा। मुख्य मन्त्री नारायणदत्त तिवारी ने यह वक्तव्य दिया, जबकि यह काम चीफ मिनिस्टर का नहीं है। आप किसी से कह देते अथवा किसी काँग्रेस मैन से कहला देते।

लेकिन हमारे यू०पी० का चीफ मिनिस्टर एक नौजवान के लिये जिसकी कोई कानूगी या सरकारी हैसियत नहीं है, उसका विज्ञापन-भोंपू बजाता फिरे कि वह आ रहा है, तो कहाँ तक उचित है ? क्या मतलब है इसका ? एक २५-३० वर्ष का आदमी बजट पर व्याख्यान दे जो कि इतनी गुप्त चीज है। जवान और बूढ़े सभी काँग्रेसमैनों को उपदेश दे। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है कि प्रधानमन्त्री जी बड़े-बड़े काँग्रेसियों से, जो उनसे मिलने जाता है, कह देती हैं कि पहले संजय गाँधी से बात कर लो। चीफ मिनिस्टरों तक से यह कहा जाता है। यह सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन की बेइज्जती है। तिवारी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संजय और आपका क्या मुकाबला ? यह क्या बात हुई, कोई गैरत है या नहीं ? आप लोगों को कोई गैरत हो, तो डूब मरना चाहिए। मुझे मालूम हुआ कि मिनिस्टर नारे के ऊपर नारे लगाते रहते हैं। यह भी मैंने सुना है कि यह नारा लगाया जाता है, "आज की नेता इन्दिरागाँधी, युवकों का नेता सजय गाँधी और कल का नेता राहुल गाँधी।" मैंने यह भी सुना है कि गवर्नमेंट की ओर से एक आडर दिया गया है कि २७ तारीख को जब संजय गाँधी आ रह हैं, तो उस दिन हवाई अड्डे से गवर्नमेंट हाउस तक स्कूल के बच्चों और उनकी अध्यापिकाओं की १५ कि०मी० तक लाईन उनके स्वागत के लिये बनायी जायेगी और बच्चे खड़े कर दिये जायेंगे। क्यों, आपने आर्डर क्यों दिया और अफसरों ने दिया है, तो उनसे पूछिये कि क्यों दिया ? क्या सीखेंगे बच्चे संजय-साहब से ? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। संजय से तिवारी जी, आप क्या सीखेंगे ? मीलों तक बच्चों को खड़ा किया जाये, वे क्या सीखेंगे उनसे। बच्चों को उस व्यक्ति के स्वागत के लिए खड़ा किया जाता है, जिनसे कुछ सीख मिले। ट्रांसपोर्ट अफसर को हुक्म हुआ कि वह ५-५ हजार आदमियों को लाये। आर० टी० ओ० को आर्डर हुआ कि पैसे का इन्तजाम उन्हें करना है। इन्तजाम करके वे देंगे। बहुगुणा जी ने भी यही रिवाज चलाया था। बादशाह अकबर जैसा। आपने भी दिल्ली से आने पर वैसे ही कोशिश की और अब संजय का जुलूस आ रहा है। आर० टी० ओ० पाँच-पाँच हजार रुपया और आदमी लायेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों यह सब गवर्नमेंट की तरफ से खर्च होगा ?

बीस-सूत्री-प्रोग्राम की उपलब्धियों का एक जिक्र चल रहा है। यह कौन सी उपलब्धि है साहब ? दुनिया में जो किसी भी योग्य गवर्नमेंट के मातहत कार्य होने चाहिए, उसे आप इमरजेंसी (आपात् स्थिति) की उपलब्धियाँ कहते हैं। इस प्रोग्राम में सिंचाई बढ़ाने का सूत्र भी है। जिसे हम भी करने को कहते थे और अन्य लोग भी कहते थे।

एक बात और आप कहते हैं कि मीसा में तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो रही है, तो यह इन्दिरा जी ने कौन सी नयी बात कर दी, जिसका आप ढोल पीट रहे हैं। यह कानून पहले से बना हुआ था। सन् १९७१ में कौल कमीशन ने तस्करों के बारे में रिपोर्ट दी थी कि बहुत जोरों से यह अपराध बढ़ रहा है, तो उस वक्त क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? लेकिन उस वक्त इलेक्शन होने वाले थे, तस्करों से रुपया लेना था, इसलिये कुछ नहीं किया गया और जब देखा कि जनता की नाराजगी बढ़ रही है, तो आपने यह कानून बनाया। यह बीस प्वाइन्ट प्रोग्राम क्या हो गया है, कोई जैसे नयी गीता लिख दी हो, तो क्या इन सब बातों के लिए इमरजेंसी की जरूरत थी ? अखबारों में निकलता है कि जबसे इमरजेंसी लागू हुई, तो रेलों में बिना टिकट-यात्रा कम हो गयी है। टिकट लेकर पहले लोग नहीं चलते थे और जबसे इमरजेंसी लागू हुई लेने लगे हैं, तो साहब ! जैसे पहले से कुछ सम्वत् चलते आये हैं, वैसे ही आप भी अब २६ जून से इन्दिरा-सम्वत् चलाइये। बिना टिकट-यात्रा के सम्बन्ध में एक खबर सुनिये—

"P. T. I. 2 August— More than seven thousand persons have been apprehended for travelling without ticket in Ratlam Division of western Railway Service after the promulgation of emergency"

(पी० टी० आई० २ अगस्त—आपात्-स्थिति की घोषणा के बाद से पश्चिम रेलवे रतलाम डिवीजन में सात हजार से अधिक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा के जुर्म में गिरफ्तार किये गये हैं)।

रतलाम डिवीजन में सात हजार व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुये पकड़े गये, तो पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे? क्या कोई कानून नहीं था? इसी तरह से टैक्स कलेक्शन (कर-वसूली) के बारे में है। २ अगस्त की खबर है—

"The Union Minister of State for Finance Mr. Pranob Mukherji today said, there was an unprecedented buoyancy in tax realisation during the last 40 days.

In a brief interview to the Bombay television he said, "collection of excise revenue, direct taxes and other taxes improved considerably during the period of emergency, which ended the sluggishness from which it had been suffering."

"केन्द्र के वित्त राज्य मन्त्री श्री प्रणव कुमार मुकर्जी ने आज कहा कि गत चालीस दिनों में करों की जितनी वसूली हुई है, वह अभूतपूर्व उल्लास का विषय है।

बम्बई टेलीविजन के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि "आपात्-स्थिति के दौरान आबकारी की आमदनी और प्रत्यक्ष कर तथा अन्य करों की वसूली में पर्याप्त उन्नति हुई है। इस आपात्-स्थिति ने हमें पीड़ित करने वाले आलस्य को समाप्त कर दिया है।"

यह है आपका प्रोपेगैन्डा। इससे किसी आफिसर की कुशलता नहीं बढ़ेगी, इससे बिना टिकट-यात्रा नहीं रुकेगी। यह तो जैसा आपका चरित्र होगा, वैसा ही काम कर्मचारी करेगा। इस इमरजेंसी से आप कुछ लोगों को जेल भेज देंगे। मानों हमने, अर्थात् विरोध पक्ष ने, आदेश दिया था कि बिना टिकट वालों को न पकड़ो, हमने कहा था स्मगलिंग चलने दो, हमने यह कहा था कि स्थित क्षेत्र न बढ़ाना, हमने कहा था कि लड़कों को लूटने दो, चाकू-छूरे चलाने दो और उन्हें नकल करने दो? लोगों को गुमराह करने के लिए कि देखो—कितना फायदा हुआ है इन काँग्रेस के विरोधियों को बन्द करने से, इसलिए इनको जेल में रहने दो, जेल में रहना इनका ठीक है, यह सब प्रचार हो रहा है।

एक "शिशु-मन्दिर" की बात है। शिशु-मन्दिर एक छोटी सी संस्था है, जो जनसंघ के लोगों के हाथ में थी। आर० एस० एस० से उसका कोई मतलब नहीं था, उसको आपने जब्त कर लिया। उन लोगों ने हाईकोर्ट में एक दावा दायर कर दिया। यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ थी। चूँकि फैसला होने वाला था, इसलिए आर्डिनेंस (अध्यादेश) द्वारा उसे जब्त कर लिया। यह कोर्ट का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। जब वह मीसा या किसी में नहीं आये, तो आर्डिनेंस लागू करके उनका हरण कर लिया। उसके चार सौ अध्यापक हैं; उनकी तनख्वाह अब नहीं मिल रही है। आप सोचें; उन बेचारों का क्या होगा? पूरे इस मीसा में कितने ही ऐसे हैं, जिनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमन्त्री जी उनको नोट कर लें। कानून में मीसा के बन्दी के लिए प्राविधान है। लोगों के बच्चे भूखों मर रहे हैं, उनके घर पर कोई जीविका कमाने वाला नहीं है, किन्तु ऐसे तमाम लोगों को कानून होते हुए भी कोई एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है। आप जुर्म बताते नहीं हैं, हाईकोर्ट का अधिकार ले लिया तानाशाह की तरह से, और लोगों को जेलों में डाल दिया, किन्तु उनके लिए जो प्रावीजन (प्राविधान) है, एलाउन्स का, उसको भी नहीं दिया, तो उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। आप विचार कर लीजिये, इस पर भी रिपोर्ट होने वाली है। जेल में नहीं रखा जा सकता है, जो कारागार कानून के अन्दर आता है, अर्थात् बन्दी रखा जाता है, जिस पर कोई आरोप हो या जिसकी अदालत से सजा हो गयी हो, उसको ही आप जेल में रख सकते हैं। आप उनको अन्दर रखें या बाहर, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनके बच्चों का प्रबन्ध करना आपका फर्ज है, उस पर आप पूरा ध्यान दें।

एक बात और। डी० आई० आर० में कुछ एम० एल० ए० बन्द हैं, उनको विधान-परिषद व राज्य-सभा के चुनावों में बोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ से आया है, उसमें केवल विरुद्ध शब्द लिखा

हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग डी० आई० आर० में बन्द हैं, उनको राइट आफ वोट क्यों नहीं है? मेरे दो चार दोस्तों से आपकी बात-चीत हुई थी। आपने कहा कि यह लोग जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दे दें। मैंने कहा था कि होम सेक्रेटरी (गृह सचिव) से कह कर डी० एम० से कहना होगा कि यदि वे जमानत देना चाहें, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका विरोध न किया जाय। अब मसलन मेरे पास सुबह टेलीफोन आया बनारस से कि दो हमारे साथी थे, उसमें से एक की तो जमानत मंजूर हो गयी, परन्तु दूसरे नौजवान थे शतरुद्ध प्रकाश, उनकी जमानत नहीं हुई। उनको भी आप दिलवा दीजिये, चाहे कन्डीशनल (सशर्त) दिलवा दें। वह वोट देकर फिर चले जायेंगे।

एक बात और है, जिसको कह कर खत्म करता हूँ। पं० नेहरू सन् १९३६ में यहाँ आये। सन् १९३६ में काँग्रेस हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी वह इस मौके के लिए बहुत उपयुक्त है; क्योंकि पंडित नेहरू इत्तिफाक से हमारी प्रधानमन्त्री के पिताजी थे। वह अनेक बार कह चुकी हैं कि हमारे पिताजी तो साधु थे, राजनीतिज्ञ तो मैं हूँ और यह भी कहती हैं कि पालिटिक्स तो मैं जानती हूँ और यह भी कहती हैं कि 'पालिटिक्स नोज नो मोरैलिटी।' राजनीति में कोई नैतिकता नहीं होती। अच्छा देखिये पं० नेहरू ने क्या कहा? उस सिलसिले में उनका व्याख्यान है, आल इन्डिया काँग्रेस-सेशन में–

"Comrades, being interested in psychology, I have watched the process of moral and intellectual decay and realised even more than I did previously, how autocratic power corrupts, degrades and vulgarises".

"साथियो! मनोविज्ञान में दिलचस्पी होने के कारण मैंने नैतिक और बौद्धिक पतन की प्रक्रिया को गौर से देखा है और पहले से अधिक महसूस किया है कि किस प्रकार निरंकुश सत्ता किसी को भ्रष्ट करती है, पतित करती है और असभ्य बनाती है" वे आगे कहते हैं :–

"A government that has to rely on the Criminal Law Amendment Act and similar laws that suppresses the press and literature, that bans hundreds of organisations, that keeps people in prisons without trial and that sees so many things that are happening in India today, is a government that has ceased to have even a shadow of justification for its existence".

"जो सरकार फौजदारी कानून और उसी प्रकार के अन्य कानूनों पर निर्भर करती है, प्रेस तथा साहित्य का दमन करती है, बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेल में बन्द करती है तथा इसी प्रकार की अन्य कार्यवाहियाँ करती है, जैसी कि आज भारतवर्ष में हो रही हैं, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का लेशमात्र भी अधिकार नहीं रह जाता है।"

यह उस समय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था, किन्तु तत्कालीन प्रशासन में किसी व्यक्ति या समाचार-पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। किन्तु आज मेरी बात को प्रकाशित करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने एक किताब लिखी इसी बीच में, पहले से लिख रहा था। अब मैं उसको प्रकाशित करने की सोच रहा हूँ। परन्तु मुझे मालूम हुआ कि किताबों पर भी सेंसर है। तो पंडित जी कहते हैं कि जो सरकार प्रेस को दबाती है, जो अनेक संगठनों पर पाबन्दी लगाती है अर्थात् जैसा कि यहाँ हो गया है, जो जेलखाने में आदमियों को बिना मुकदमा चलाये हुए रखती है, इस प्रकार की बहुत सी बातें जो इस समय भारत में हो रही हैं। हमारी चीजें ऐसी हो रही हैं, जो हमको नहीं मालूम हैं और न किसी को मालूम हैं, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं है एक मिनट भी रहने का।

यह पंडित जी ने सन् १९३६ में कहा था। आज के हालात में यह ठीक उतरता है। एक बात मैं अपने दोस्तों से और कहूँगा। मैं कहूँगा कि अपना दिल टटोलें, देश की बात सोचें। मेरी बात गलत हो सकती है और मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो, मैं माफी चाहता हूँ। इन सब बातों को भूल जायें। जो देश की स्थिति है, उसको निष्पक्ष होकर देखें। जाने-अनजाने में भूल हो गयी हो, उससे कैसे देश को निकालें या आप निकलें।

मुझे इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण वाकिया याद आता है महाभारत का। (शासन पक्ष की ओर से हँसने की आवाजें आयीं) इसमें हँसने की क्या जरूरत है? दुर्योधन

की बात कहने जा रहा हूँ ; श्रीकृष्ण की नहीं। दुर्योधन से कहा गया कि अगर घोरतम युद्ध हुआ, जिसके कारण देश बरबाद हो गया, तो यह तुम्हारी गलती है। दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, मगर मैं उससे अपने को दूर नहीं रख सका, अपने आप को बचा नहीं सका। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उस पर आचरण नहीं कर पाया। मानो किसी देव ने मेरे हृदय को ग्रस लिया हो। दोस्तो, यही हाल आपका है। यह देव इन्दिरा गाँधी नहीं हैं, आपकी परिस्थितियाँ नहीं हैं, यह देव आपका अपना स्वार्थ है, अपना हित है, जो हर मनुष्य का होता है। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, जिसका स्वार्थ न हो, बिना उसके संसार का व्यवहार नहीं चलेगा। लेकिन जब अपने हित का देश के हित से टकराव होता हो, उससे देश को खतरा हो, तो कम से कम उन लोगों को, जो देश की सेवा का व्रत ले चुके हों, अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और देश की बात करनी चाहिए। सोचो और विचार करो। कोई मनुष्य अमर नहीं है। देश अमर है।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय ! मैंने जो संशोधन पेश किया है, मैं चाहता हूँ कि सदन उसे स्वीकार करे और जो मुझसे गलतियाँ हो गयी हों, तो मैं उधर के लोगों से माफी चाहता हूँ। (तुमुल हर्ष—ध्वनि)

●

"प्रत्येक राज्य-कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि अपने सुख, आराम एवं प्राणों का बलिदान करके भी राज्य और देश की सेवा करे। ऐसा करने से ही राज्य की उन्नति और अभिवृद्धि होती है एवं प्रजा का अधिकतम कल्याण सम्पन्न होता है। जो राज्य-कर्मचारी प्रजाहित तथा सेवा की भावना से ओत-प्रोत न हो, उसे अपने पद से पृथक् कर देना ही उचित है। योग्य, त्यागशील, राजभक्त तथा सेवा-परायण कर्मचारियों पर ही देश का अभ्युदय निर्भर है। राज्य को अपने कर्मचारियों पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए। उनके अयोग्य अथवा भ्रष्टाचारी होने पर प्रजा बहुत पीड़ित होती है। इन प्रजा-पीड़िकों को उचित दण्ड-व्यवस्था द्वारा अनुशासन में रखना नितान्त आवश्यक है, तभी प्रजा का हित-सम्पादन सम्भव हो सकता है।"

—कौटिल्य

●

एक अमूल्य भाषण

□ चौधरी चरण सिंह

भारत की प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नगरी मेरठ में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का ३६वाँ अधिवेशन ९ दिसम्बर सन् १९४८ में सम्पन्न हुआ था। सेठ गोविन्द दास जी सभापति थे। डा० सर सीताराम ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुख्य अतिथि थे। श्री के०एम० मुंशी, श्री टी० प्रकाशम्, श्री रविशंकर शुक्ल, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मन, मद्रास के हरिजन नेता नगप्पा, काँग्रेस के मनोनीत तत्कालीन सभापति श्री डा० पट्टाभि सीता रमैया, आसाम के श्री गोपी नाथ बारडोलोई, श्री दिवाकर, श्री सत्य नारायण सिन्हा, मध्य प्रदेश के श्री घनश्याम सिंह गुप्ता, श्री धुलेकर, श्री सुब्रह्मण्यम्, श्री रोहिणी कुमार चौधरी तथा आसाम के कामथ भी विद्यमान थे। उस समय स्वागताध्यक्ष पद से चौधरी साहब द्वारा दिया गया भाषण प्रस्तुत है।

●

अखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष पद से अभ्यागतों का स्वागत करते हुए श्री चौधरी चरणसिंह ने कहा कि मेरठ जिला महाभारत काल से प्रसिद्ध चला आ रहा है। इतिहास-प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगरी इस जिले में ही स्थित है तथा उसके खंडहर अब भी भारत के उस गौरवपूर्ण-अतीत का स्मरण कराते हैं। इसी जिले में राजा परीक्षित का बसाया हुआ परीक्षितगढ़ नाम का कस्बा अब भी वर्तमान है। वार्णावत् वर्तमान बरनावा ग्राम के रूप में उस प्राचीन इतिहास का स्मरण कराता है, जो कौरव-पाँडवों के संघर्ष से सम्बन्ध रखता है। इसी स्थान पर महाभारत का प्रसिद्ध लाक्षागृह बनाया गया था। गढ़ मुक्तेश्वर नाम का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान भी इसी जिले में है, जहाँ कि प्राचीन-काल में हमारे ऋषि-मुनिगण धर्म का उपदेश देकर जनता की शंकाओं का निवारण करते थे। अब भी प्रति वर्ष इस तीर्थ में गंगा के पावन-तीर पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है।

मेरा सर गर्व से ऊँचा हो जाता है, जब मुझे यह याद आता है कि मेरठ वही नगर है, जहाँ कि भारत की स्वतत्रता के प्रेमियों ने पहली बार विजय-यात्रा पर बढ़ने के लिए शख फूँका था और १० मई सन् १८५७ को फिरंगी को ललकारा था। जो चिनगारी मेरठ ने जलायी थी, उससे देश के एक बहुत बड़े भाग में एक महायज्ञ आरम्भ हो गया, जिसमें नाना धुन्धुपन्त पेशवा, रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, ठाकुर कुँवर सिंह जैसे वीरवर काम आये। देखने को तो यह आग बुझ गयी, लेकिन भारतवासियों के दिल में स्वाधीनता की वह आकाँक्षा जगी, जिसने १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराकर ही दम लिया।

मुझे इस बात पर भी गर्व है कि जिस हिन्दी को आज आप राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण पद पर आसीन कराने जा रहे हैं, उसका जन्म-स्थान यही मेरठ प्रदेश है। इस प्रदेश की आम जनता वही भाषा बोलती है, जिसको आप अपने साहित्य में परिष्कृत रूप में प्रयोग करते हैं।

आपको यह बताते हुए भी मुझको बड़ी प्रसन्नता होती है कि यह मेरठ प्रदेश, साहित्य-सृजन के लिए सदैव उर्वरा भूमि रहा है। यहाँ का ग्राम्य-साहित्य भी बड़ी उच्चकोटि का

है। भारत भर में प्रसिद्ध आल्हा-काव्य इसी प्रदेश में रचा गया। यह सर्वविदित ही है कि इससे बढ़कर वीर-रस का कोई दूसरा गीत-काव्य हिन्दी में नहीं है। भटीपुर ग्रामवासी घीसाराम की होलियाँ आज सारे पश्चिमी प्रदेश में गायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसी मेरठ में देवनागरी तथा हिन्दी के अनन्य भक्त स्वर्गीय पंडित गौरीदत्त जी का कार्य-क्षेत्र रहा है, जिन्होंने हिन्दी का झण्डा इस प्रदेश में सबसे पहले उठाया था। आपने अनेक पुस्तकालय तथा देवनागरी पाठशालायें स्थापित कीं। मेरठ की प्रसिद्ध शिक्षा-संस्था देवनागरी इण्टर कालेज बीज-रूप में आपके द्वारा ही स्थापित की गयी थी। स्वर्गीय श्री हरिशरण जी 'मराल' यहाँ के काव्य-मानसर के एक प्रकार से मराल ही थे; उनकी भक्तिभाव तथा देशभक्ति से पूर्ण रचनाएँ अपनी ही कोटि की हैं। स्वर्गीय श्री विशम्भर सहाय जी 'व्याकुल' ने 'व्याकुल भारत-नाटक-समाज' की स्थापना की तथा हिन्दी को रग-मंच दिया। आपके ही सदुद्योग के फलस्वरूप मेरठ का साँस्कृतिक-स्तर इतना ऊँचा है। स्वर्गीय बाबू घासीराम जी ने आर्यसमाज के क्षेत्र में रहकर जहाँ समाज सेवा की, वहाँ साहित्य-सेवा भी की। आपने अनेक ग्रन्थ विभिन्न विषयों पर लिखे।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उसी मेरठ प्रदेश में एक नया परीक्षण हिन्दी में विज्ञान की उच्चतम शिक्षा देने के लिए किया जा रहा हैं। मेरठ से लगभग आठ मील दूर दौराला में विज्ञान-कला-भवन नाम की संस्था है, जहाँ चौधरी मुख्तारसिंह के अध्यवसाय से हिन्दी-मिडिल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हिन्दी के माध्यम से विज्ञान तथा औद्योगिक विषयों की उच्चतम शिक्षा दी जा रही है। भारत भर में इस दिशा में यह पहला सफल प्रयास है।

आज देश के सामने जो बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं, उनमें से राष्ट्रभाषा की समस्या भी एक है। यह अभागा भारतवर्ष सैंकड़ों वर्ष पराधीन रहा। इसका प्रधान कारण यह था कि देश भर में कोई एक शक्तिशाली संगठन न था। छोटे-छोटे माँडलिक राज्यों में हमारा देश विभक्त था, विभिन्न सम्प्रदाय थे और विभिन्न भाषाएँ। विदेशी आया और विभिन्न राज्य, प्रान्त और कौम या सम्प्रदायों को अलग-अलग करके पीट लिया। अतएव इतिहास से हमने यह सीखा कि भारत देश की जनता के विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों को एक सूत्र में बाँधने और इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन को संगठित करने के लिए एक भाषा के माध्यम की नितान्त आवश्यकता है। राष्ट्रीयता की जड़ एक भाषा है, यह आज सबको मान्य है।

परन्तु प्रश्न यह है कि भाषा कौन सी हो? जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य था और देश अखड था, तो हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू को राष्ट्र-भाषा बनाने की बात भी कभी-कभी सुनने में आती थी। अब उर्दू शब्द की चर्चा तो बन्द हो गई है, परन्तु उसका स्थान हिन्दुस्तानी ने ले लिया है। हिन्दुस्तानी भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है, जिसको कहा जाता है कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्से के जन-साधारण बोलते हैं और जो देवनागरी व फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है।

स्वयं सिद्ध सी बात है कि इन दोनों भाषाओं में से राष्ट्रभाषा का स्थान उसी को दिया जा सकता है, जिसकी शब्दावली, उच्चारण, लिपि और वर्णमाला अन्य प्रान्तीय भाषाओं की शब्दावली आदि के अधिक से अधिक निकट हो, जिसकी लिपि सुगम और वैज्ञानिक हो और जिसमें ऊँचे से ऊँचे साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखे जा सकें। इन कसौटियों पर कसकर देखा जाय, तो राष्ट्र-भाषा के पद पर केवल हिन्दी को ही आसीन किया जा सकता है, हिन्दुस्तानी को नहीं।

हिन्दी व अन्य प्रान्तीय भाषाओं की एक ही जननी है अर्थात् सस्कृत। इसलिए हिन्दी उस हिन्दुस्तानी की अपेक्षा जो फारसी लिपि में भी लिखी जाये, बगाली, गुजराती, मराठी आदि के अधिक निकट है। इस कारण हिन्दी को सारे भारतवासी अधिक सरलता से सीख, पढ़ व लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के आगे तो विरोधी पक्ष भी आज नतशिर है। उस दिशा में ससार की कोई लिपि भी उसके सामने नहीं ठहर सकती। फारसी-लिपि की अवैज्ञानिकता इतनी स्पष्ट है कि उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना निरर्थक है। रही साहित्य-निर्माण की बात, सो हिन्दी और उसकी माँ संस्कृत के पास शब्दकोष का बहुत बड़ा भण्डार है।

हिन्दुस्तानी में साहित्य-निर्माण करने का प्रयत्न बालू

में से तेल निकालने जैसा है। जन-साधारण जो भाषा बोलते हैं, उसमें न्याय, दर्शन, गणित, रसायन, वैद्यक, वनस्पति व जीवशास्त्र या विज्ञान की कोई भी पुस्तक लिखी नहीं जा सकती। उसके लिए संस्कृत-निष्ठ हिन्दी की शरण लेनी होगी या अरबी-निष्ठ उर्दू की, परन्तु फिर वह हिन्दुस्तानी न रहेगी।

राष्ट्रभाषा की समस्या पर विचार करते समय हम असम्बद्ध बातों का कोई प्रभाव न लें, तो इसकी समीक्षा बड़ी आसानी से हो सकती है, परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा हो नहीं पाता। हम लोग तर्क से आलोकित सीधे, प्रशस्त मार्ग को छोड़ कर भावनाओं और कल्पनाओं की घाटियों और कंकटाकीर्ण पगडण्डियों में बहक जाते हैं। हिन्दुस्तानी के समर्थक ऐसा अनुभव करते हैं कि केवल हिन्दी को अपनाकर हम असख्य मुसलमानों के साथ एक घोर अन्याय करेंगे; हिन्दू साम्प्रदायिकता की आग को भड़कायेंगे और जो लोग "हिन्दू-राष्ट्र" की बात करते हैं, उनके हाथ मजबूत करेंगे। उनका ऐसा भी विचार है कि केवल देवनागरी में लिखित हिन्दी-भाषा की बात कहना, मानो संकीर्णता का प्रचार करना तथा देश को बीते हुए अन्धकार युग की ओर ले जाना तथा हिन्दू पुनरुत्थान का प्रयत्न है। यह भी कहा जाता है कि हिन्दी के समर्थक एक प्रकार के साम्राज्यवादी हैं और यह लोग अन्य प्रान्तीय भाषाओं को पनपने देना नहीं चाहते। हिन्दुस्तानी का समर्थन करते समय पूज्य दिवंगत महात्मा जी के पुण्य-नाम का भी प्रयोग किया जाता है और हिन्दुस्तानी के पक्ष में उनकी राय को एक अकाट्य-सत्य के रूप में उपस्थित किया जाता है।

अब हमको देखना यह है कि क्या हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने से मुसलमानों के साथ कोई अन्याय होता है? पहली बात तो यह कि धर्म का भाषा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। चीन देश के रहने वाले मुसलमान चीनी-भाषा बोलते और चीनी रहन-सहन बरतते हैं और फिर भी अच्छे मुसलमान हैं। यही बात यूरोप निवासी मुसलमानों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष में रहने वाले चार करोड़ मुसलमानों में से मुश्किल से एक करोड़ मुसलमान, जो युक्त-प्रान्त और बिहार में अब रहते हैं, फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं। बंगाली, गुजराती, मराठी और दक्षिण प्रदेश के मुसलमान अपने-अपने प्रान्तों की भाषा और लिपि का प्रयोग करते हैं और फारसी लिपि से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हिन्दुस्तानी के समर्थकों का एक करोड़ आदमियों की संतुष्टि के लिए शेष तैंतीस करोड़ आदमियों पर फारसी लिपि लाद देना कहाँ तक न्याय संगत होगा, यह समझ में नहीं आता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा यदि दो लिपियों में लिखी जाये, तो इसका यह अर्थ हुआ कि तामिल आदि प्रान्तों के निवासियों को तीन-तीन लिपियाँ सीखनी होंगी। इससे बच्चों के मानसिक-विकास पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह सहज में अनुमान लगाया जा सकता है।

साम्प्रदायिकता की आग भड़काने की जो बात कही जाती है, इस सम्बन्ध में मैं बहुत शिष्टता के साथ केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग हिन्दी-भाषा के राष्ट्र-भाषा बनाये जाने में साम्प्रदायिकता की झलक देखते हैं, वह स्वयं आँखों पर साम्प्रदायिकता का रंगीन चश्मा पहने हुए हैं। उन्होंने बराबर देश की हर समस्या को हिन्दू-मुस्लिम रंग में रंगकर देखा है। पग-पग पर हिन्दू-मुसलमान शब्दों का प्रयोग किया गया है और एक प्रकार से अनजाने राष्ट्रीय-जीवन की एकता पर कुठाराघात किया है। इसी प्रकार यह दो लिपियों का समर्थन करके देश की विकेन्द्रीकरण करने वाली शक्तियों को प्रश्रय दे रहे हैं।

रही देश को प्राचीन हिन्दू-पुनरुत्थान की ओर ले जाने की बात, सो ऐसा कहने वाल लोग भूल जाते हैं कि राष्ट्र-वाद केवल राजनीतिक आधार ही नही रखता है, परन्तु उसकी सांस्कृतिक आधार-भित्ति भी होती है। यही नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की कल्पना में सांस्कृतिक पुट कदाचित् राजनीतिक अश से भी अधिक होता है और यह सर्वसम्मत बात है कि सस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक भाषा होती है। क्या हम अंग्रेजों से यह सौदा करने को तैयार हो सकते थे कि वह भारत को इस शर्त पर छोड़ जायें कि हम लोग अपनी भाषा आदि छोड़ कर अंग्रेजी-भाषा ग्रहण कर लें और अंग्रेजी-संस्कृति का बाना पहिन लें। अगर नहीं, तो सिद्ध है कि जब हम लोगों ने अंग्रेजों को निकालने का प्रयत्न किया, तो जो भारत का चित्र हमारे मस्तिष्क में आता था, उसमें हिन्दी और हिन्दी के साथ जो और सब भावनायें निहित हैं, वे हमारे सामने मूर्तिमान होकर उपस्थित होतीं

थीं। इसे चाहे हम पुनरुत्थान कहें और चाहे नये सिरे से एक शक्तिशाली आधार पर पुनर्निर्माण, बात एक ही है।

अंग्रेजी-काल में जहाँ तक मुझको याद है, प्रान्तीय भाषा के समर्थकों ने यह आवाज नहीं उठायी कि अंग्रेजी के रहते हुए उनकी भाषा का विकास असम्भव है। फिर आज अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को जब दिये जाने की बात कही जाती है, तो फिर साम्राज्यवाद कैसा? हिन्दी प्रान्तीय भाषाओं के अधिकार को छीनना नहीं चाहती, वह अपने-अपने स्थान पर फलें-फूलें; उनमें प्रादेशिक साहित्य भी बनता रहे और नित्य-प्रति के व्यवहार में भी वह काम आती रहें। हमारा आशय तो केवल इतना है कि यह देश एक लड़ी में बँध जाये। इसके लिए अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार की एक भाषा का होना आवश्यक है। हम केवल यही चाहते हैं कि जो स्थान अब तक विदेशी भाषा को प्राप्त था, वह अब इस देश के सबसे बड़े भाग की भाषा को मिल जाये।

●

संकीर्ण विचार वाले पाखण्डी लोग यह नहीं जानते कि शंकर-दिग्विजय के चाण्डाल के समान ही, सन्त महात्मा लोग (जिनमें सन्त रैदास, दादू, कबीर आदि अनेक तथा-कथित छोटी जाति के थे) मानों स्वयं भगवान् के अवतार अथवा भगवान् के भेजे हुए धर्मदूत थे। यदि ऐसा नहीं मानें, तो समझ में नहीं आता कि ऊँचे से ऊँचे आध्यात्मिक ज्ञान का अपने में साक्षात् करने वाले लोग ऐसे स्थानों में क्यों उत्पन्न हुए थे। निश्चय ही भगवान् का अभिप्राय था कि उनके रूप में अवतीर्ण होकर पवित्र भारत-भूमि की कलंक रूप नीच-ऊँच की भावना को भारत से समूल नष्ट कर दिया जाये।

–सहयोगी

●

राजनीतिक भ्रष्टाचार

□ चौधरी चरणसिंह

राजनीतिक भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। नगद धन हासिल करने के अलावा उद्योग लगाने, आयात-निर्यात व आर्थिक-लाभ के अन्य उद्देश्यों के लिए लाइसेंस पाने के इच्छुक व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मंत्रियों के सम्बन्धियों की नियुक्तियों के जरिये भी भ्रष्टाचार फैल रहा है।

भ्रष्टाचार का एक और रूप सार्वजनिक परियोजनाओं व सुविधाओं को इस तरह आवंटित करने में पद का दुरुपयोग है, जिससे उस क्षेत्र या वर्ग-विशेष को लाभ पहुँचे, जिसे मन्त्रियों का समर्थन है। समुदाय व समाज-कल्याण परियोजनाओं और सिंचाई की सुविधाओं व सड़कें बनाने या सरकारी उद्योग कायम करने में राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। कर्ज और आर्थिक-मदद ज्यादातर राजनीतिक आधार पर तय की जाती है, जिस कारण न सिर्फ आर्थिक-मदद बेकार जाती है, कर्ज की बकाया रकम भी बढ़ती जाती है।

सामान्य नियम और कानून लागू न करना भी भ्रष्टाचार है। जो व्यक्ति किसी दल को या चुनाव के लिये चन्दा देते हैं, वे आयकर न देने के कारण हुए जुर्माने से बच जाते हैं। ग्रामीण-विकास सरकारी और स्वशासी संस्थाओं को आर्थिक-मदद स्वार्थ के कारण निजी फैसले पर की जाती है।

चुनाव के लिए धन

राजनीतिक शक्ति पाने के लिये सत्ता के भूखे राजनीतिक नेता को हर पाँच साल में एक बार चुनाव जीतना पड़ता है, जिसमें काफी धन खर्च होता है। इसलिए वह बेईमान व्यापारियों से सम्बन्ध जोड़ता है। राजनीतिक नेता को धन देने के लिए व्यापारी काला-बाजारी करेगा और उस व्यापारी की रक्षा राजनीतिक नेता करेगा, जिससे उसे धन मिलता रहे। इस तरह भ्रष्ट व्यापारी या उद्योगपति और भ्रष्ट राजनीतिक नेता के बीच सम्बन्ध कायम हो जाता है और भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है।

स्टैनली कारले ने 'वाशिंगटन पोस्ट' में लिखा—"व्यापारियों को लाइसेंसों के लिये धन देना पड़ता है। सरकारी एजेंसियों के निदेशक किसी तरह धन में हेरा-फेरी कर देते हैं। तटकर निरीक्षकों की तस्करों से मिली-भगत रहती है। कोई व्यापारी बिना धन दिये अपना काम कराने की उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि वह ठीक तरह नहीं जानता कि उसे कितनी अदायगी करनी है और किसे करनी है।"

भ्रष्टाचार के मामले में भारत बदनाम है। एक अमेरिकी पत्रिका ने लिखा कि भारत में अब बच्चे को विद्यालय में भर्ती करने, दूध का कार्ड पाने, यहाँ तक कि रेल का टिकट पाने के लिए भी घूस देनी पड़ती है।

भ्रष्टाचार बढ़ने से प्रशासन पर जनता का विश्वास उठ गया और ईमानदारी की कोई मिसाल न मिलने से वह निराश हो गयी। उसके दिल में भ्रष्ट अधिकारियों की इज्जत

खत्म हो गयी, जो अपनी या अपने रिश्तेदारों की भलाई करने में जुटे थे। राजनीतिक नेताओं के भाषणों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता।

चरित्रहीनता

देश में राजनीतिक जीवन में चरित्र और निष्ठा की कमी आ गयी। सत्ता हथियाने या एक बार सत्ता पाकर उसे कायम रखने की लालसा ने राजनीतिक ढाँचा खत्म कर दिया, जिसे महात्मा गाँधी के नेतृत्व में नेताओं ने विकसित किया था।

एक व्यक्ति के अनुसार, जिसने छठे दशक में भारत का सर्वेक्षण किया, शायद ही कोई मंत्री ऐसा था, जिसने अपना कम से कम एक रिश्तेदार सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में नौकरी पर न रखाया हो, जो वहाँ रहने का हकदार नहीं था। दस बड़ी फर्मों के उच्च अधिकारियों का विश्लेषण करने से पता चला कि उनमें करीब २० फीसदी संसद सदस्यों, १४ फीसदी सरकार के सचिवों और २५ फीसदी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदार थे। निजी प्रतिष्ठान, अधिकारियों के कृपा-पात्र बनने का, यह सबसे अच्छा साधन मानते थे।

पश्चिमी देशों में सत्ता में रहते निजी लाभ उठाने का लालच आम तौर पर खत्म-सा हो गया है। कोई मन्त्री जरा भी नैतिकता भंग करे, तो उसकी तुरन्त आलोचना की जाती है और सजा दी जाती है। अमेरिका में 'वाटरगेट-कांड' ने समूचे अमेरिकी जनमत को झकझोर दिया।

चरित्र में कमी क्यों है ? दिशा-विहीनता और पतन क्यों है ? स्वार्थ की शिक्षा कहाँ से मिलती है ? भ्रष्ट व्यक्ति शर्मिन्दा क्यों नहीं होता ?

भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्राँति चाहिए, जो उत्पादन के साधनों या इन्सानों के आर्थिक सबंधों में बदलाव कर लायी जा सकती है।

मेरा पक्का विश्वास है कि सबसे पहले भ्रष्ट मन्त्रियों और अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी-बड़ी रिश्वतें देने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए।

●

"यदि हम अहंकार के बन्धनों को तोड़ दें और मानवता के समुद्र में विलीन हो जायें, तो हम उसकी महानता के हिस्सेदार बन जाते हैं। यह समझना कि 'हम भी कुछ हैं' अपने और ईश्वर के बीच दीवार खड़ी करना है।"

—महात्मा गाँधी

●

प्रश्नों के घेरे में

चौधरी चरण सिंह

'परंतप' प्रकाशन की ओर से चौधरी चरणसिंह से श्री लल्लन प्रसाद व्यास ने दिल्ली में, दो बार भेंट की, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर उन्होंने विभिन्न प्रश्नों पर अपने उत्तर दिए, जो उसी रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

●

प्रश्न–गृहमन्त्री के रूप में आप कैसा अनुभव करते हैं? क्या आपका कोई सपना साकार हुआ है?

ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गृहमन्त्री बनूँगा। राजसत्ता केन्द्र में अपने हाथ में आये, यह कुछ धुँधला-सा विचार, कल्पना या उद्देश्य, कुछ भी कह लीजिए, मेरे मन में था। लेकिन गृहमन्त्री की बात तो मैंने सोची नहीं थी–न मेरी इस सम्बन्ध में किसी से कोई वार्त्ता ही हुई थी।

पटेल का आदर्श

प्रश्न–गृहमन्त्री के रूप में आपका आदर्श राजपुरुष कौन है और इस सम्बन्ध में आपकी क्या मान्यतायें हैं?

सरदार पटेल एक सफल गृहमन्त्री थे। उनकी समूची नीति ने, उनकी प्रशासनिक क्षमता ने, विचारों की उनकी दृढ़ता ने, उनकी साफगोई–स्पष्टवादिता ने मुझे प्रभावित किया है। आजादी के बाद जिस तरह से देशी रियासतों का उन्होंने विलीनीकरण किया और सारे देश के मानचित्र को अखण्डता और सार्वभौमिकता प्रदान की, वह कोई साधारण काम नहीं था। एक युग के काम को दो-तीन वर्ष में ही निपटाकर वे चले गये। यह हमारे देश का दुर्भाग्य था कि वे अधिक दिनों तक देश को नेतृत्व नहीं दे सके। सफल प्रशासन के लिए आवश्यक है कि स्पष्ट-नीति हो, दृढ़ता से उसका कार्यान्वयन हो, जो लोग कार्यान्वयन करते हैं, उनका आचरण सन्देह-रहित हो, वे किसी प्रलोभन और दबाव से समझौता न करने वाले हों।

दयानन्द और गाँधी

प्रश्न–व्यक्तिगत जीवन में आपका आदर्श–पुरुष कौन रहा है, जिसने आपको प्रभावित किया हो?

यों देखें तो गुजरात मेरे लिए पुण्य-भूमि है। जहाँ तक सामाजिक और धार्मिक-प्रभाव का ताल्लुक है, वह तो स्वामी दयानन्द का ही रहा, किन्तु राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर मैंने गाँधी जी को ही अपना आदर्श माना है और उन्हीं की नीतियों और विचारों ने मुझे प्रभावित किया है।

स्थिति नियन्त्रण से बाहर नहीं

प्रश्न–क्या इमरजेंसी के बाद शान्ति और व्यवस्था की स्थिति ज्यादा बिगड़ी है?

नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो। इतना जरूर है, इमरजेंसी के कारण सारा देश

एक घुटन महसूस कर रहा था; जबान पर ताले लगे थे; अखबार वही छाप सकते थे, जो सेंसर के बाद छापने को दिया जाता था; प्रदर्शन का कोई सवाल ही नहीं था। अब जब सब तरह की आजादी लौट आयी है, तो स्प्रिंग की तरह, कमानी की तरह प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिये चारो ओर कुछ न कुछ हलचल है। मैं मानता हूँ कि कुछ अवाँछनीय तत्व भी उभर आये हैं, किन्तु उनसे निपटने के लिए हमारे उपलब्ध कानून बहुत ही सक्षम हैं।

प्रश्न–लगता है कि गाँवों में असुरक्षा की भावना कुछ अधिक दिखायी पड़ती है ?

ऐसा तो नहीं है। गाँव में कभी-कभी यह हो जाता है कि जैसे परिस्थितिवश कोई व्यक्ति डाकू बन जाये और डाका डालना शुरू कर दे। वह आतंक तो कुछ दिनों के लिए पैदा कर ही देता है, लेकिन वह जैसे ही पकड़ जाता है, शान्ति स्थापित हो जाती है; लेकिन यह कोई असाधारण बात है, ऐसा नहीं है। समाज में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दोनों ही हैं। प्रशासन की उपयोगिता इसी में होती है कि बुराइयों को दबाया जाये और अच्छाइयों को पनपाया जाये।

प्रश्न–प्रशासनिक सुधार के लिए गृहमन्त्री बनने के बाद आपने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, उन पर कुछ प्रकाश डालें ?

सबसे बड़ा कदम तो यह है कि कमीशन बैठाये हैं; उन कमीशनों की फाइन्डिंग पर आगे कार्यवाही की जायेगी। देवराज अर्स के खिलाफ फाइन्डिंग आ गयी है और दूसरे कमीशनों का काम चल रहा है।

फिर हमने एक अखिल भारतीय पुलिस–आयोग बैठाया है। सन् १९०२ के बाद, ७५ वर्ष के बाद, ऐसा कमीशन बैठा है, जिसमें पुलिस की समस्याओं पर विचार होगा। छोटी-मोटी तो बहुत सी चीजें की हैं प्रशासन में। जैसे आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में एक चौथायी ही प्रोमोशन पर ऊपर जाते थे, हमने एक तिहायी कर दिया है।

शाह-कमीशन क्यों ?

प्रश्न–आप यह बतलायें कि जाँच के लिए शाह-कमीशन को ही क्यों उपयुक्त समझा गया ? युद्ध-अपराधियों की जाँच जैसी पद्धति क्यों नहीं अपनायी गयी ?

हमारे संविधान में उसके लिए कोई कानून नहीं था। वह तो लड़ाई में जीते हुए लोग अपना निजी एक मार्शल ला की तरह कानून बना लेते हैं, किन्तु प्रजातान्त्रिक प्रणाली में सविधान ही सबसे बड़ा होता है, उसी के मुताबिक चलना था। हमारे सविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात यह है कि 'सबवर्जन आफ कान्स्टीट्यूशन इज नाट एन आफेन्स' संविधान में तोड़-मरोड़ स्वयम् अपराध की गिनती में नहीं आता। हाँ; ऐसा कुछ देशों में माना जाता है और एक देश ऐसा भी है, जहाँ इस तरह का मुकदमा चलाकर प्रधानमन्त्री को फाँसी की सजा भी दी जा चुकी है। हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं है और न हम उस रास्ते पर जा सकते हैं।

प्रश्न–लोगों की धारणा है कि गृह-मन्त्रालय की असावधानी के कारण श्रीमती गाँधी को साफ छूट–निकलने का मौका मिला है ?

लोग ऐसा कह सकते हैं। गृहमन्त्री होने के नाते जिम्मेदारी भी मेरी ही ठहरायी जा सकती है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या उन्हें गिरफ्तार करना गलत था ? क्या सारा देश यह नहीं चाहता था कि अपराधी को सजा दी जाये ? लेकिन गलती तो हमसे यह हुई कि वे छोड़ दी गयीं। सिर्फ एक यही गलती मेरे नाम के साथ जोड़ी जायेगी। शायद फौजदारी कानून के इतिहास में यह एक अनोखी घटना थी, जिस ढग से श्रीमती गाँधी को रिहा किया गया।

प्रश्न–आप सफल नहीं हो पाये, एक ऐसा अवसर आप चूक गये, जिसमें श्रीमती गाँधी के राजनीतिक–जीवन का पटाक्षेप हो सकता था ?

सवाल श्रीमती गाँधी के राजनीतिक–जीवन को समाप्त

करने का नहीं था–बल्कि एक ऐसी परिपाटी डालने का था, जिसके अनुसार सभी को सबक मिल सके कि सार्वजनिक जीवन में पद और सत्ता का दुरुपयोग करना एक अपराध है और चाहे जितनी बड़ी हस्ती हो, उसे भी अपराध की सजा दी जा सकती है। श्रीमती गाँधी के खिलाफ ठोस सबूत थे। ये प्रमाण अकाट्य हैं। सी० बी० आई० ने जाँच करके उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया।

प्रश्न–अच्छा तो अब आपका क्या कहना है? श्रीमती गाँधी एक हीरो बनकर सारे देश में घूम रही हैं। उनके राजनीतिक-भविष्य के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्रीमती गाँधी उसी जगह हैं, जहाँ वे पिछले वर्ष चुनाव के समय थीं। उनके बारे में जनता की मानसिक–धारणा में कोई फर्क नहीं आया। गिरफ्तारी और रिहायी के बाद मैं दिल्ली से ट्रेन द्वारा लखनऊ गया था। हर स्टेशन पर हजारों लोग इकट्ठा होकर यही नारे लगा रहे थे कि 'क्यों रिहा किया गया उन्हें ?' साधारण लोग यही कहते पाये गये–'उसे गिरफ्तार करने के लिए दिलेरी चाहिए। कानून उससे दुबारा निपटेगा, मगर यही शख्स उसे दुबारा पकड़ेगा।'

प्रश्न–अब तो इन्दिरा जी आपके और आपकी पार्टी के खिलाफ धुआँधार प्रचार कर रही हैं ?

बस यही तो हमारी सभ्यता और संस्कृति में औरत होने का अनुचित लाभ है। हम पुरुष इस मामले में अधिक सहनशील हैं। वे तो ड्रामा करने की आदी हैं। मैं उनसे दो ही मामलों में हार खा जाता हूँ–एक तो उनकी ड्रामा-कला से; आँसू बहाने से, चिल्लाने से कि 'चरणसिंह तो मेरे खून का प्यासा है' और दूसरी यह कि वे कभी सच नहीं बोलतीं। मैं पहले भी यह कहा करता था कि 'किसी दूसरे देश का प्रधानमत्री कभी झूठ नहीं बोलता और हमारी प्रधानमंत्री कभी सच नहीं बोलतीं।' आखिर हिटलर का बोलबाला इसी आधार पर ही तो था। एक झूठ को सैकड़ों बार जोर-जोर से बोलते रहने पर वह एक दिन सच मान लिया जाता है। लेकिन मुझे अपने देश की जनता पर पूरा यकीन है। आखिर जनता ने ही तो इतनी बड़ी क्रान्ति अभी की है; वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, न कभी बर्दाश्त ही करेगी।

प्रश्न–क्या इन्दिरा गाँधी पर संविधान की हत्या करने के अभियोग पर 'ओपन इम्पीचमेन्ट' की कार्यवाही भी नहीं की जा सकती थी ?

जी नहीं, प्रधानमन्त्री का 'ओपन इम्पीचमेन्ट' कैसे हो सकता है ? उसे तो संसद जब चाहे निकाल सकती है। इम्पीचमेन्ट होता है राष्ट्रपति का, सुप्रीमकोर्ट के जजों का। अमरीकी संविधान में जैसे राष्ट्रपति का 'इम्पीचमेन्ट' हो सकता है। लेकिन यहाँ तो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने जो कुछ उल्टा-सीधा किया, उसको संसद से पास करा लिया और मोहर लगवा ली।

प्रश्न–पद और ख्याति का घृणित दुरुपयोग करके संजय गाँधी को आगे बढ़ाकर क्या इन्दिरा जी ने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया ?

किया तो है, लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कि यह अपराध हुआ है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया तो अपनानी ही पड़ेगी। जैसे शाह–कमीशन एक स्वतन्त्र–कमीशन है और संजय गाँधी के मामले में 'किस्सा–कुर्सी-का' और मारुति के मामले में जाँच का काम हो ही रहा है। इन जाँच–आयोगों का काम जैसे ही समाप्त होगा, वैसे ही उनकी रिपोर्टों पर सरकार विचार करेगी और आगे की कार्यवाही भी उसी पर निर्भर होगी। हमारे यहाँ के कानून का आधार यह है कि चाहे सौ गुनहगार छूट जायें, मगर किसी बेगुनाह को सजा न मिले।

भ्रष्टाचार

प्रश्न–देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में आपके क्या विचार हैं ?

मेरा पक्का विश्वास है कि बिना भ्रष्टाचार मिटे कोई भी शासन सफल नहीं हो सकता है और न कोई मुल्क ही ऊँचा उठ सकता है। भ्रष्टाचार ऊपर से हमेशा नीचे की ओर फैलता है। इसे नेस्तनाबूद करने के लिए मूलरूप से

वहीं आघात करना पड़ेगा, जहाँ से यह शुरू होता है। तप-बलिदान और जनसेवा के संस्कार हमारे देश में ऊपर से ही चलकर फिर नीचे सारे समाज में फैलते आये हैं। ठीक यही बात भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी लागू होती है। यदि समाज के नेता, सरकार के बड़े अफसर भ्रष्टाचारी आचरण छोड़ दें या जब पकड़े जायें तो कड़ी सजा मिले, तो उसका प्रभाव सारे देश और समाज पर पड़ेगा। अजीब हालत हो गयी है–यहाँ ईमानदार आदमियों को अँगुली पर गिनाया जाता है–कहा जाता है कि ये ईमानदार हैं, जबकि विदेशों में भ्रष्टाचारी पर अँगुली उठायी जाती है कि यह कैसे भ्रष्टाचारी हो गया।

प्रश्न–भ्रष्टाचार का जब जिक्र चला है, तो एक सवाल यह भी पूछना चाहूँगा कि जनता पार्टी के सन्दर्भ में पहले की और आज की देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

मुझे तो स्थिति पहले से कुछ बेहतर ही लगती है। कम से कम कोशिश तो इस ओर शुरू हो गयी है।

प्रश्न–क्या आपके विचार से इस देश की स्थिति आगे चलकर ऐसी भी हो सकती है, जब जनता समझे कि देश से भ्रष्टाचार जड़-मूल से उखाड़ फेंका जा चुका है ?

क्यों नहीं हो सकती ? इसमें असम्भव नाम की चीज मैं नहीं देखता। किन्तु इसके लिए सत्ता और जनता दोनों को ही मिलजुल कर पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी होगी।

प्रश्न–क्या इसके लिए आप लोगों ने कुछ कार्य प्रारम्भ किया है ?

हमने कुछ कार्य तो शुरू किया ही है। जाँच आयोग का गठन, सी०बी०आई० द्वारा छानबीन और लोक-पालों की नियुक्ति आदि। हमारा देश घनी जनसंख्या वाला देश है और भ्रष्टाचार कैंसर का रूप ले चुका है। ऐसी स्थिति में बिना निराश हुए लगातार योजनाबद्ध रूप में कार्य करने से ही सफलता मिल सकती है।

प्रश्न–क्या आप ऐसा कुछ अनुभव करते हैं कि भ्रष्टाचार में किसी खास वर्ग का ज्यादा हाथ है या उसकी जिम्मेदारी ज्यादा आती है ?

इसकी सारी जिम्मेदारी है 'पोलिटिकल लीडरशिप' पर। दरअसल जड़ तो यही हैं।

प्रश्न–अगर यह जिम्मेदारी आपके शब्दों में 'पोलिटिकल लीडरशिप' पर है, तो इन्हीं लोगों का कर्त्तव्य भी इस मामले में सबसे अधिक होना चाहिए ?

कर्त्तव्य इन लोगों का नहीं तो और किसका है ? 'महाजनो येन गतः स पन्थाः।' दरअसल, गलती तो नेहरू के जमाने से हुई है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, नेहरू जी अत्यन्त शुद्ध और पवित्र थे। लेकिन उनके सहयोगी दूसरे लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, उन पर उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। लिहाजा भ्रष्टाचारी लोगों को एक तरह से 'शह' मिलती गयी, नतीजा सामने है।

प्रश्न–क्या चरित्र के आम-संकट से भी भ्रष्टाचार पर असर पड़ता है ?

क्यों नहीं, असर तो हर चीज से पड़ता है, सरकार के हर कानून से, हर फैसले से; लेकिन दूसरे तत्वों का भी बहुत असर पड़ता है।

राष्ट्रीय चरित्र

प्रश्न–देश के कोने-कोने से खास तौर से ग्रामीण अंचलों से आपसे भेंट करने वालों का ताँता लगा रहता है। आप इन लोगों के बीच स्वयम् को कैसा अनुभव करते हैं ?

मैं जानता हूँ कि खास तौर से गाँव वाले भाई बड़ी दूर-दूर से काफी उम्मीदें लेकर मेरे पास आते हैं। उन्हें यकीन है कि चलो, चरणसिंह अपना आदमी है, उसके पास चलो। मगर आप यकीन मानिये, काफी वक्त उनकी फरियादें सुनने में लग जाता है। एक बार तो पिछले दिनों साढ़े तीन घंटे तो महज उनकी परेशानियाँ सुनने में लग

गये। अब इस दरमियान मैं कुछ ऐसा काम करूँ, जिससे लोग कहें, अच्छा काम करने वाला है। समय का देश के लिये सदुपयोग करूँ या डाकखाने का ही काम करता रहूँ। यह एक बड़ी दिक्कत है। बस उन्हें तो यह है कि चरणसिंह हमारा आदमी है, चलो हर बात उसे सुना दें।

प्रश्न—बस यही आस्था है उनकी, जिसकी वजह से वे आपके पास दौड़े चले आते हैं।

सो तो ठीक है, पर सबके मन की बात कैसे पूरी हो ? काश मैं उनके दर्द को बाँट सकता।

प्रश्न—आपके दिल में देश के लिए इतना दर्द, इतनी तड़प है, तो पूरी भी होगी। प्रशासन चुस्त हो तो·····

असल में प्रशासन ठीक होना चाहिये। प्रशासन ठीक करने के लिए सबसे बड़ा कारण 'पोलिटिकल लीडर-शिप' ही है। अफसरों के चरित्र साफ-सुथरे होने चाहिए। चरित्र तो अफसरों का, जजों का, मुन्सिफों का, लेखपाल का, गाँव-पंचायत के पंचों का, सभी का ठीक होना चाहिए। आम-नागरिक का चरित्र भी ठीक रहना चाहिए।

हमारे देश में एक कहावत है—'यथा राजा तथा प्रजा।' मगर यह कहावत राजशाही के जमाने की है, लोकशाही जमाने की नहीं। इसलिए हमारे नेताओं को पहले खुद मिसाल पेश करनी चाहिए। जनता का चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए कि नेता बेईमानी करे, तो सामान्य जनता पर उसका असर ही न पड़े; तब कहीं जाकर जनतन्त्र की सच्ची कामयाबी हासिल होगी। होना तो यह चाहिये कि यदि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री या अन्य कोई मन्त्री बेईमानी करे, तो जनता खुद इसके खिलाफ एक जुट होकर उसका पर्दा-फाश करे; बजाय इसके कि मन्त्री बेईमानी करे तो जनता भी उसका अनुकरण करने लगे। फिर भला चरित्र ऊँचा कैसे होगा ?

जापान का उदाहरण

मैं आपको मिसाल दूँ जापान की। मेरे दोस्त चौधरी अवतारसिंह तीन महीने जापान में रह आये हैं। गजब का राष्ट्रीय-चरित्र है जापानियों का। सबसे प्रमुख चीज तो वे पुरुषार्थी हैं। दूसरे, अव्वल दर्जे के देशभक्त हैं। तीसरे, सबसे ज्यादा किफायतशार हैं। चौथे, उनका राष्ट्रीय चरित्र बहुत ऊँचा है। चौधरी अवतारसिंह ने मुझे वहाँ का एक वाकिआ बतलाया कि एक लड़की सड़क पर जा रही थी, तो उसे रास्ते में एक छोटा सिक्का जैसे अपने यहाँ की अठन्नी हो, मिली। उसने वह सिक्का सिपाही को उठाकर दे दिया। सिपाही उससे बोला कि चूँकि यह सिक्का तुमने पड़ा पाया है, इसलिए तुम्हारा है। लड़की ने कहा कि नहीं, मेरा नहीं है। जब लड़की ने अठन्नी नहीं ली, तो उसे सिपाही ने एक सिगरेट ले आने को कहा। सिगरेट आई छः आने की, फिर भी बाकी दो आने बचे, जिसे सिपाही उस लड़की को देने लगा। पर उस लड़की ने बचे हुए दो आने भी लेने से इन्कार कर दिया। सिपाही ने उसे समझाया कि दो आने वह उसे सिगरेट लाने की एवज में बतौर इनाम दे रहा है। लड़की ने फिर इन्कार कर दिया। जब यह खबर उच्च अधिकारियों तक पहुँची, तो उस सिपाही को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उस ईमानदार लड़की की फोटो उक्त घटना के विवरण के साथ टोकियो के प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र के मुख-पृष्ठ पर छापी गयी। ऐसा ही विकास होना चाहिए हमारे देश में राष्ट्रीय-चरित्र का। ऐसा ही ठोस और चुस्त शासन भी होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, तब तक भला नहीं होगा।

एक और मिसाल दूँ आपको जापान की। एक हिन्दुस्तानी सज्जन यहाँ से जापान गये और वहाँ एक होटल में ठहरे। वहाँ से किसी दफ्तर में उनको किसी से मिलने जाना था। रास्ता करीब तीन मील का था। टैक्सी वाले से तय हो गया कि अमुक दूरी तक जाना है और इतने पैसे लगेंगे। वे साहब जब टैक्सी में सवार होकर कुछ दूर चले तो टैक्सी वाला रास्ता भूल गया और काफी चक्कर लगाने के बाद गन्तव्य स्थान तक पहुँचा। उक्त हिन्दुस्तानी सज्जन ने मीटर के हिसाब से टैक्सी का किराया अदा करना चाहा। उस जापानी को बुरा लगा और उसने उतनी राशि लेने से इन्कार कर दिया। ड्राइवर कह रहा था कि जितना तय किया है, उतना ही लूँगा, ज्यादा नहीं। इधर हिन्दुस्तानी महाशय मीटर के हिसाब से भरपूर किराया देना चाहते

थे। हिन्दुस्तानी समझ रहा था कि शायद यह और ज्यादा पैसे माँग रहा है। वह जापानी न अंग्रेजी जानता था न हिन्दी और ये महाशय जापानी समझ नहीं पा रहे थे। बड़ी देर बाद कोई दुभाषिया आ गया और उसने समझाया कि ड्राइवर कह रहा है कि दरअसल रास्ता तीन ही मील का था, गलती उसकी थी कि वह बड़ा चक्कर लगाकर पहुँचा। उसे वही किराया चाहिए, जो तय हुआ था। अधिक नहीं लेगा वह।

जापान के राष्ट्रीय-चरित्र के बारे में यह घटना कितना जबरदस्त उदाहरण पेश करती है। हमारे देश में तो जानबूझकर चक्कर लगाकर पहुँचाने की कोशिश की जाती है और अधिक पैसा लेना होशियारी मानी जाती है।

मेरे सपनों का भारत

प्रश्न—आपके सपनों का भारत कैसा है ?

मेरे सपनों के भारत पर तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। कहाँ तक बतलाऊँ ? महात्मा जी ने एक दफे कहा था—मेरे सपनों का भारत तो वह होगा जहाँ हर एक को जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें सुलभ होंगी। मैं भी वही बात दुहरा रहा हूँ कि प्राथमिक आवश्यकतायें सबकी पूरी हों, ऐशो-आराम की चीजें नहीं। दूसरे, सबको रोजगार मुहैया हो। तीसरे अमीरों और गरीबों में अन्तर कम से कम होता जाये। चौथे, यह कि हर आदमी ईमानदार हो अर्थात् देश में भ्रष्टाचार न हो और हर आदमी रोटी-कमाने के काम में स्वतन्त्र रहे; अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करता रहे। पाँचवे, यह कि हर आदमी अपने मुल्क को तरक्की की बुलन्दियों तक पहुँचाने का स्वप्न देखे और एक यह भी कि भारत में ऊँच-नीच का भेदभाव बिल्कुल न रहे।

यदि गाँधी जी प्रधानमन्त्री होते

प्रश्न—क्या आपके विचार में समाज का नेतृत्व राजनीति के ही हाथ में रहना चाहिए ?

मेरे विचार से समाज का नेतृत्व अलग-अलग होना चाहिए। राजनीति का क्षेत्र तो राजनेताओं के हाथ में ही रहेगा। मेरे ख्याल से इस सवाल की तह में आपके मन में शायद एक शंका यह है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, जो भले लोगों के लिए नहीं है। मेरे भी मन में कभी-कभी यह सवाल उठता है कि मैं कहाँ आकर फँस गया। लेकिन आप ही जरा सोचिये, ऐसी भावना रखनी क्या देश के लिए हितकर है ? राजनीति तो हमेशा रहेगी ही, कोई न कोई किसी न किसी रूप में राजसूत्र तो सँभालेगा ही। भले लोग नहीं चलायेंगे, तो बुरे लोग चलायेंगे तब तो आखिर देश बिगड़ेगा ही। अगर गाँधी जी हमारे पहले प्रधानमन्त्री हो जाते, तो यह समस्यायें, जो आज हमारे सन्मुख खड़ी हैं इस तरह से खड़ी ही न हो पातीं। भारत का स्वरूप ही कुछ और होता।

प्रश्न—आपका यह महत्वपूर्ण विचार शायद देश के सामने पहली बार आया है। आज तक किसी ने यह बात नहीं कही। हाँ, तो गाँधी जी शुरू में यदि प्रधानमन्त्री होते, तो क्या-क्या मर्यादायें निर्धारित करते ?

देखिए, नेहरू जी पैदा तो भारत में ही हुए, मगर भारत की जमीन से पैदा नहीं हुए। महात्मा जी सन् १९१९ में ही देश के राजनीतिक-मच पर आ गये थे। उस समय हमारे सामने दो प्रकार के आदर्श थे। एक तो सम्पूर्ण जीवन के विषय में जैसे स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द जी, ये तीनों सन्यासी थे। दूसरे, लोकमान्य तिलक, गोखले, क्रान्तिकारी खुदीराम बोस। महात्मा जी दोनों आदर्शों से प्रभावित हुए। सबके मन में उस जमाने में एक ऊँची भावना थी—अपन गुलाम देश को किसी तरह आजाद कराने की। उस जमाने में लोग मोटा कपड़ा पहनते थे, गर्म कपड़ा पट्टू पहना जाता था और अब इस जमाने में कोट, पतलून, टाई और न जाने क्या-क्या पहनते हैं। आज के जमाने में किसका आदर्श है ? हमारे बच्चों की जो मौजूदा पीढ़ी है, उनके सामने कौन-सा आदर्श है ? अब किसका अनुसरण करे वह ? सबसे बड़ी समस्या तो यही हो गयी है। आज कोई भी बच्चा देश के लिए कोई स्वप्न देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखता ? इसलिए नहीं देखता कि कोई आदर्श नहीं है उसके सामने।

भटकाव की स्थिति में ही उसकी आधी उम्र बीत जाती है।

अनुशासनहीनता क्यों ?

प्रश्न—आजकल खास तौर से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता क्यों बढ़ रही है ? इसके कारण क्या हैं ?

देखिये अनुशासन-हीनता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे घरों में जो मान्यतायें थीं, जो परम्परायें थीं, जो जीवन था, उसके पैमाने बिलकुल बदल गये हैं। पहले घरों की मान्यताये थीं, सबसे पहले माँ के पैर छुओ, फिर ताई के, दादी के; मतलब यह कि बड़ों का आदर करो। बड़ों में गुरु भी आ जाते हैं, सन्यासी भी। माता-पिता, गुरु और सन्यासी सब पूज्य माने जाते थे। समाज में आदर की भावना होगी, तो अनुशासनहीनता कहीं नहीं होगी, न शिक्षकों में, न विद्यार्थियों आदि में ही। पर अब सब समाप्त हो गया। सब जगह अनुशासनहीनता दिखाई देती है। अँग्रेजों के जमाने में जो लोग रिश्वत नहीं लेते थे, वे हमारे सामने लेने लगे। देश की नैतिकता तो पूरी तरह से चौपट हो गयी है। कुल मिलाकर देश पीछे गया है। शहर की सभ्यता बदली और लोग बदले, तो गाँवों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है और अब थोड़ी बहुत जो सभ्यता गाँवों में बची है, वह भी सब चौपट होती जा रही है।

आशा की किरण

प्रश्न—चौधरी साहब, इस अँधेरे की स्थिति में क्या आपको कहीं कोई प्रकाश की किरण (सिलवर लाइनिंग) नजर आती है ?

बेशक, वह यह कि 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।' इतिहास में कितनी सभ्यतायें उठीं और मिट गयीं मगर हमारी सभ्यता आजतक कायम है। आखिर कोई बात है तभी तो यह चमत्कार है। कुछ सनातन जीवन-मूल्य हैं हमारे, और हमारे महान देश भारत के। अपनी सभ्यता और संस्कृति से ही वह महान है। बहुत-सी चोटें झेली हैं इसने, इस चोट को भी बर्दाश्त करेगा। हमारी सभ्यता शाश्वत है, वह कभी नहीं मिटेगी।

बहुसंख्यक और अल्प संख्यक

प्रश्न—चौधरी साहब, समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बाँटने की क्या जरूरत थी ?

यह चालाकी अंग्रेजों ने की थी और अब इसे स्वार्थ-परक लोग कर रहे हैं, जिनके सामने केवल अपना स्वार्थ है, देश का स्वार्थ नहीं है। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिये बाँटा, जिसका कुफल आज तक हम भोग रहे है। हद है कि सिख तक अलग कर दिये गये। 'हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई' -- सुनने में तो कितना कर्णप्रिय लगता है, मगर यह अलगाव क्यों ? अब हिन्दू और हरिजन की भी बात होती है, इस बेवकूफी की भी कोई सीमा है ? असल में हिन्दू कोई नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि हिन्दू होने का कोई अभिमान नहीं करता, यह बदकिस्मती है इस देश की !

जनता पार्टी के निर्माण की भूमिका

प्रश्न—जनता पार्टी के निर्माण में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से उस समय जब आपने 'देश बड़ा है और व्यक्ति उसके बाद आता है' यह स्वीकार किया और अपने को प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में बतायें कि कैसे यह विचार आया, कैसे यह भूमिका बनी ?

यह विचार सबसे पहले आया उस समय जब हमने यह महसूस किया कि कई पार्टियाँ यदि प्रतिपक्ष में रहेंगी, तो संविद सरकार बनेगी और संविद सरकार चल नहीं सकेगी। दो या तीन पार्टी होतीं, तो शायद कुछ तालमेल होना सम्भव होता— किन्तु उसकी शक्ति में फिर भी कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती। इंगलैंड में प्रतिपक्ष की अनेक पार्टियाँ हैं। १८ वीं और २०वीं दो शताब्दियों तक संयुक्त सरकारें रहीं, लेकिन लोकतन्त्रकीय ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संयुक्त सरकार भी लोकतन्त्र में होती है।

इसीलिए हमारे यहाँ विचार आया कि एक पार्टी होनी चाहिए–डेमोक्रेटिक अपोजीशन । उसी ख्याल से बनाया था– भारतीय क्रान्ति दल । उसमें ज्यादातर काँग्रेसी ही थे दरअसल । जब सन् ६८ में इस्तीफा हुआ था, तब कोशिश की थी हमने । क्राँति दल तो पहले ही बन गया था । वह शायद ११ नवम्बर या ११ दिसम्बर सन् १९६७ को बना-था इंदौर में– भारतीय क्राँतिदल बनने के बाद जनवरी या फरवरी सन् १९६८में राजाजी से भी हमारी बातचीत हुई थी । राजा जी भी चाहते थे, इस प्रकार की पार्टी बने, लेकिन बन नहीं पायी और फिर बात टल गयी और उन्होने कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे । फिर सन् १९६९ के चुनाव के बाद मई में हम लोग इकट्ठा हुए, जनसंघ के नेता और स्वतन्त्र पार्टी के प्रतिनिधि । लेकिन उस वक्त यह लोग तैयार नहीं हुए । जनसघ वाले हट गये । वे चाहते थे कि स्वतन्त्र पार्टी प्रजा समाजवादी और हम तीनों एक हो जायें । लेकिन पी० एस० पी० वाले बोले कि स्वतन्त्र पार्टी को नहीं लेना चाहिए, यह तो राजा-महाराजाओं की पार्टी है या रिटायर्ड आई० सी० एस० वालों की है । हमने कहा जो हमारे उसूलों से सहमत होगा वह आ जायेगा; तुम क्यों पाबन्दी लगाते हो, चाहे राजा-महाराजा हों, या कोई हो । लेकिन उनकी समझ में नहीं आया । इस लिए उस समय एक पार्टी नहीं बन पायी । हमने भी केवल स्वतन्त्रपार्टी के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना मुनासिब नहीं समझा । बात इस तरह फेल हो गयी सन् १९६९ में । फिर जुलाई, सन् १९७३ में नये सिरे से कोशिश हुई बहुत गम्भीर, उसमें भी कोई नहीं चाहते थे । हम और बीजू पटनायक ही चाहते थे । चुनाव आ रहा था सन् १९७४ में विधान सभाओं का । तो मोरार जी भाई बोले 'आधी सीट उनकी होनी चाहिए । हम चाह रहे थे कि सब मिलकर लड़ लें, तभी ये एस० एस० पी० वाले आ गये । एस० एस० पी० के दो हिस्से हो चुके थे । बड़ा ग्रुप तो राजनारायण जी का ही था, जो हमारे साथ आ गया । मुस्लिम मजलिस के लोग भी हमारे प्रोग्राम पर हमारे निशान पर चुनाव लड़े । इसलिए उस समय १०७ सीटें लाये हम ।

उस समय सारा हमला हम पर ही था । बी०बी०सी० ने कहा था कि २०० काँग्रेस की सीटें आयेंगी, हमने कहा कि १०० मुश्किल से आएंगी । लेकिन क्या करिश्मा हुआ, कैसे हुआ उस चीज को मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ, हद हो गयी, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? इलेक्शन के बाद हमने फिर कोशिश की । उसमें एस० एस० पी० तो पहले से ही थी, स्वतन्त्र पार्टी भी आ गयी थी, बीजू पटनायक की उत्कल काँग्रेस और एक छोटा-सा ग्रुप मधोक का । एक छोटी-सी पार्टी चाँदराम ने बना रखी थी हरियाणे में; वह कम्युनिस्टों में जाने की सोच रहा था । जब हमारा कुछ बनता देखा तो हमारे साथ आ गया । इस तरह ५-६ग्रुप्स अप्रैल में इकट्ठे हुए, सन् १९७४ में । फिर २९ अगस्त सन् १९७४ को बी०एल० डी० बन गयी, भारतीय लोक दल, क्राँति दल की जगह । उस समय भी यह तीन ग्रुप अलग ही रह गये । जनसघ, काँग्रेस और एक छोटा-सा सोशलिस्ट ग्रुप, जो राजी नहीं था । इनकी बुद्धि में ही नहीं आया । मैंने जयप्रकाश नारायण जी से भी कहा था कि आप कहिये इनको, ये तो आपके नाम के ही पीछे चल रहे हैं, आप इन्हें समझाइये; फिर नहीं राजी हुए । इमरजेंसी में जाकर राजी हुए ।

संविद और जनता का अन्तर

प्रश्न–जैसा संविद में आपको जो अनुभव हुआ था, क्या वही अनुभव आज जब कई पार्टियों से मिलकर सरकार चल रही है, आपको हुआ है अथवा उससे कुछ भिन्न स्थिति है?

नहीं उससे तो अच्छा है । जब अलग-अलग पार्टियाँ कायम थीं, अपने निर्णयों के लिए, वे अलग बैठती थीं, अलग निर्णय लेती थीं । अब स्थिति यह है कि चाहे अन्दर कुछ भी फीलिंग हो, लेकिन पार्टियाँ न अलग बैठती हैं, न अलग फैसले ही कर सकती हैं । अलग कोई संगठन नहीं रहा, वह अलगाव मिट चुका है । हम पुरानी स्थिति से कहीं अधिक अच्छी स्थिति में हैं । हाँ वैचारिक एकता में कभी-कभी कुछ कमी महसूस होती है । वह भी जैसी होनी चाहिये थी वैसी नहीं है । हम आसानी से निर्णयात्मक स्थिति तक पहुँच जाते हैं । अपनी पार्टी में बैठ कर अपने स्वतन्त्र मत प्रकट करना फिर एक स्वर से एक निर्णय लेना ही तो प्रजातन्त्र की सार्थकता है ।

राष्ट्र-भाषा और उर्दू

प्रश्न–जनता पार्टी आने के बाद राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर

यद्यपि आप स्वयं हमेशा से हिन्दी के पक्षधर रहे हैं, क्या पहले की सरकार या पूर्व परिस्थितियों और आज में कुछ अन्तर है ?

दरअसल, यह झगड़ा शब्दों का नहीं है, झगड़ा लिपि का है। यों तो फारसी-अरबी के शब्द हमारी लिपि में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं और आजकल तो इसका चलन और बढ़ता जा रहा है। उठाइए कोई हिन्दी की पत्रिका, देखिए हिन्दी और उर्दू में अलगाव नहीं है। प्रश्न सारा है लिपि का। अब मैंने यही कह दिया कि लिपि बाहर से आई है, तो इसी पर सब नाराज हो रहे हैं। पागलों जैसी गलत फहमी है उन्हें। अगर उस वक्त राज न होता पठानों का और मुगलों का, तो देवनागरी लिपि ही चलती। अँग्रेज आये, अँग्रेजों ने अपनी अँग्रेजी लाद दी। निजाम ने उर्दू वहाँ लाद दी तेलगू पर। आजकल तो नहीं लादी जा सकती, लोकतन्त्र है, लोग चाहेंगे जिसको, वही होगी। अगर लिपि का झगड़ा नही होता, तो दो लिपि रहतीं इस वक्त हिन्दुस्तान में। गाँधी जी कह रहे थे हिन्दुस्तानी करो। पार्टीशन के और भी कारण थे, लेकिन यह उर्दू का मामला भी एक बड़ा कारण था। अब याद कीजिए, आपको याद ही होगा।

यह सरकारी भाषा का झगड़ा है। वैसे तो उर्दू में बहुत सी खूबी हैं उर्दू बहुत अच्छी भाषा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो कुछ बोलता हूँ या लिखता हूँ वह अधिकतर उर्दू ही है ? लेकिन सारे भारत में बोली जाने वाली अनेकों भाषायें संस्कृत से निकली होने के कारण हिन्दी से बहुत नजदीक है। इसलिये हिन्दी ज्यादा लोगों की समझ में आ सकती है। और यदि दो लिपियाँ हो गयीं तो सरकारी काम में बड़ी दिक्कत आएगी। सच तो यह है कि साम्प्रदायिक तत्वों ने राजनीतिक कारणों से उत्तर-भारत में हिन्दी और उर्दू का झगड़ा खड़ा कर दिया है और दक्षिण-भारत में, खास तौर से तमिलनाडु में, हिन्दी और तमिल के बीच। हिन्दी-फिल्मों का वहिष्कार भी ऐसे ही झगड़े का एक ढंग था।

तमिलनाडु में वे तमिल चाहते हैं, बंगाल में बंगला चाहते हैं। मेरे विचार से इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। अगर धर्म से वास्ता होता तो बंगला देश अलग नहीं होता पाकिस्तान से ? उर्दू अगर मजहब की भाषा होती तो पश्चिमी पाकिस्तान और बंगला देश क्यों बँटते ? क्या बंगला देश के मुसलमान, मुसलमान नहीं हैं ? मैं यह बात फिर से दोहराता हूँ कि हिन्दी और उर्दू के बीच लिपि को छोड़कर कोई अन्तर नहीं है।

प्रश्न–सुना है आप उर्दू भाषा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं ?

मैं हिन्दी की बात केवल इसलिए कहता हूँ क्योंकि सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने के लिए एक भाषा चाहिए। मैं उर्दू की शिक्षा के हर तरह से पक्ष में हूँ। जहाँ चालीस लड़के, लड़कियाँ उर्दू सीखना चाहते है, वहाँ उर्दू शिक्षक की व्यवस्था की गई है।

हम तैयार थे कि त्रिभाषा फार्मूला पर सख्ती से अमल हो। जो हिन्दी भाषी क्षेत्र है, उनमें आधुनिक भारतीय भाषाओं– बंगला, तमिल, तेलगू आदि के साथ उर्दू को भी शामिल किया जाये। जो उर्दू सीखना चाहें, शौक से सीखें। उर्दू को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि उर्दू को प्रश्रय न दिया गया, तो हमारे साहित्य का एक बहुमूल्य अंश हमसे अलग हो जाएगा। उर्दू भाषा की लज्जत और नज़ाकत की अपनी शान है उसे हर हाल में बरकरार रहना ही चाहिए।

समाजवाद का प्रश्न

प्रश्न–समाजवाद को लेकर आपके विचारों की बड़ी चर्चा हो रही है।

इसमें कोई शक नहीं कि समाजवाद सचमुच एक मन को लुभाने वाला विचार है।

यही है न कि अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के लाभ के लिए न हो, बल्कि सारी जनता के लाभ के लिए हो। यह बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सारी जनता या स्टेट उसकी मालिक हो। उत्पादन का ढाँचा भी ऐसा हो जिससे स्टेट जमीन की, फैक्टरियों की मालिक हो और

मकान की मालिक हो तथा तिजारत भी करे। यह इस देश की संस्कृति और परम्पराओं के अनुसार सम्भव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि गाँधी जी वाली बात हो, छोटी यूनिट हों, काम करने में स्वतन्त्र हों, इससे लोकतन्त्र मजबूत होता है, उत्पादन बढ़ता है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो और व्यक्ति का विकास भी समाज के विकास के साथ-साथ होता है।

जवाहर लाल और इन्दिरा

प्रश्न—नेहरू-परिवार को लेकर आपके विचारों की बड़ी चर्चा हुई है ?

दरअसल नेहरू की आलोचना करना उद्देश्य नहीं है और न उनकी कमजोरियाँ ढूढ़ने का। अभी कामथ की लिखी एक छोटी सी पुस्तक निकली है— 'लास्ट डेज आफ नेहरू।' उन्होंने कहा कि हमने हजार बार कहा कि चीन के खिलाफ तैयारी करो। अनर्गल स्पीच देते रहे। उनके उद्धरण भी दिये हैं। जब आक्रमण हो गया, तो बस हम देखते रह गये। चीन के मुकाबले में हम बहुत कमजोर साबित हुए। वे यथार्थवादी व्यक्ति नहीं थे। उन पर पाश्चात्य सभ्यता का पूरा असर था और इसलिये उनकी नीतियाँ भारतीय जमीन पर अधिक कारगर नहीं हो पायीं।

प्रश्न—नेहरू और इन्दिरा के विचारों में आप कोई अन्तर पाते हैं या एक जैसा ही मानते हैं ?

नेहरू जी के कुछ तो स्तर थे, इनका तो कुछ भी नहीं है। वे मूलभूत प्रजातन्त्रीय प्रणाली पर विश्वास करते थे, ये तो प्रजातन्त्र को समाप्त कर एकतन्त्र कहिये या परिवारवाद कहिये या अधिनायकवाद कहिये, कायम करना चाहती थीं।

प्रश्न—इन्दिरा-शासन के ग्यारह वर्षों की कोई उपलब्धि मानी जा सकती है ?

उपलब्धि कुछ नहीं, केवल हानि ही हानि हुई है और संवैधानिक परम्पराओं को ऐसी ठेस लगी है, जिन्हें सही दिशा देने में बड़ा समय और परिश्रम लगेगा।

कुछ संस्थायें

प्रश्न—आनन्द-मार्ग के विषय में आजकल काफी बातें प्रकाश में आ रही हैं। क्या उस पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई बात है ?

वैसे कोई इरादा नहीं है। आनन्द-मार्गियों ने जो कुछ किया है, अभी हाल में वह देश के बाहर किया है। अभी उसे अवैध करार देने की बात विचाराधीन नहीं है। लेकिन चाहे जो गुट या संस्था हो, अगर हिंसा को अपनाती है, तो सख्ती से पेश आया जायेगा।

प्रश्न—लेकिन क्या यह निश्चित हो गया है कि विदेशों में आनन्द-मार्गियों ने ही विध्वंसक कार्यवाहियाँ की हैं ?

बाहर तो आनन्द-मार्गी ही ऐसा दावा कर रहे हैं; ब्रिटेन में, आस्ट्रेलिया में। वैसे यह भी कह रहे हैं कि हमसे सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जो पकड़े गये हैं, वे कहते हैं कि हम आनन्द-मार्गी हैं।

प्रश्न—आर० एस० एस० वाले अलग संस्था के रूप में रहना चाहते हैं और उसका अलग अस्तित्व रखना चाहते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं ?

मेरी सहमति का क्या है ? उनकी बातों का यकीन करना पड़ेगा।

केन्द्र-राज्य-सम्बन्ध

प्रश्न—आपके विचार से राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिये या नहीं ? क्या ऐसा करना देश के लिए हितकर है ?

इसमें कोई हर्ज नहीं है। केन्द्र की शक्ति को कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिये। इतने बड़े देश की एकता और शक्ति के लिए केन्द्र का मजबूत रहना बहुत आवश्यक

है। लेकिन प्रान्तों के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिये, जो उसका विकास करने में सहायक हो।

प्रश्न—क्या आप कोई विशेष विचार देना चाहते हैं ?

क्या दें ? अभी कल ही कुछ लोग पूछ रहे थे, राज्यों की शक्ति ज्यादा बढ़ जायेगी, तो केन्द्र कमजोर हो जायेगा। मैंने कहा कमजोर नहीं होता है। राज्य तो केन्द्र को मजबूत करने के लिए हैं। केन्द्र मजबूत होगा, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी।

भारत का व्यक्तित्व

प्रश्न—भारत का अपना व्यक्तित्व कैसा हो, मौलिक व्यक्तित्व किस प्रकार का हो ? क्या भारत एक महान् राष्ट्र बनेगा ?

मेरा सपना तो यही है, परन्तु इस देश में मौलिकता का अभिमान नहीं रह गया है। बच्चे, औरतें सब पश्चिमी सभ्यता की नकल करते हैं, अंग्रेजी बोलने में शान समझते हैं। नक्काल भला किसी को क्या कुछ दे सकते हैं ?

समाजघाती फिल्में

प्रश्न—राष्ट्रीय-चरित्र के निर्माण में फिल्मों की क्या भूमिका होनी चाहिए ?

अच्छा प्रश्न किया। मैंने सोचा एक हिटलर था, जिसने फिल्मों के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत बनाया, राष्ट्र का निर्माण किया और कहाँ हमारे देश की यह फिल्में।

कल ही मैंने अपने घर में किसान के नाम पर एक फिल्म देखी। पहले तो उसमें महल दिखाया, फिर एक खूबसूरत लड़की दिखलायी गयी। लड़की का बाप महल में उसे खोज रहा था। इतने में महल का मालिक आ गया, जिसने आते ही लड़की को बाँहों में भर लिया। उसकी इज्जत लूटी। लड़की मर गयी तो उसे गंगा में डलवा दिया। इसके साथ ही दो और प्रेम के किस्से चल पड़े। उफ् ऐसा बेहूदापन, हमने फौरन फिल्म बन्द कर दी। यह सिनेमा तो हमारे देश को चौपट कर देगा।

रूखा व्यवहार ?

प्रश्न—आपके बारे में लोगों का ऐसा विचार है कि आपका व्यवहार बड़ा सख्त और रूखा होता है ?

मैं इसका क्या उत्तर दूँ ? मैं बेईमान और भ्रष्टाचारी लोगों को सजा देना चाहता हूँ, क्या इसीलिए मेरे बारे में इस तरह का आरोप है और क्या इसलिए भी कि मैं सिफारिशें नहीं मानता और मैं पूँजीपतियों से दूर रहता हूँ ?

प्रश्न—शायद आपसे लोग इसीलिए दूर रहते हैं, क्योंकि आपको किसी प्रकार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं किया जा सकता ?

यह ठीक है कि मैं लोगों की गलतियों के लिए उनको डाँटता हूँ या समझाता हूँ, फिर भी लोग बड़ी संख्या में मेरे पास आते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे बारे में बहुत-सी बातें लोग क्यों कहते हैं।

प्रश्न—विचित्र बात है कि आप जमींदारी-विरोधी आन्दोलन में अग्रणी रहे हैं, फिर भी आपको लोग हरिजन-विरोधी कहते हैं।

कुछ भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ मुझसे डरते हैं, इसीलिए मेरे बारे में भ्रान्तियाँ फैलाते हैं, मेरे लिये हरिजन विरोधी होने का आरोप तो बहुत ही हास्यास्पद है। सन् १९३२ में मेरा खाना बनाने वाला लड़का हरिजन था। बाद में भी लखनऊ में मेरा रसोइया हरिजन ही था। मैं तो जात-पाँत का विरोधी हूँ और मैंने हमेशा इसके लिए संघर्ष किया है। जन्मना जात-पाँत तभी टूट सकती है, जब लोग अन्तर्जातीय विवाह करें। मैंने तो सन् १९५४ में नेहरू जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें सलाह दी थी कि संविधान में इस आशय का संशोधन होना चाहिये कि कुछ समय के बाद केवल उन युवकों को गजटेड सेवा में लिया जायेगा अथवा विधान-मण्डलों में प्रवेश दिया जायेगा, जो दूसरी जातियों में शादी के लिए तैयार होंगे। नेहरू जी इससे सहमत नहीं हुए। सन् १९६७ में जब मैं उत्तर प्रदेश की संविद सरकार का मुख्यमन्त्री बना, तब भी मैं इस प्रकार का कानून बनाना

चाहता था। लेकिन मेरे मन्त्रिमण्डल के साथियों ने ही इसका विरोध किया। फिर भी एक निर्णय मैंने यह लिया कि शिक्षा-संस्थाओं के ऐसे नाम समाप्त कर दिये जायें, जो कि जाति के आधार पर हों। सन् १९६७ में मैंने प्रदेश लोकसेवा आयोग में एक हरिजन को सदस्य बनाया। भारतीय क्रान्ति दल के घोषणा-पत्र में तो एक ऐसी धारा रखी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि निजी और सार्वजनिक उद्योगों या कारखानों में बीस प्रतिशत मजदूरों के स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रहें।

प्रश्न—मुसलमानों के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

आजकल मुसलमानों के लिए जो कुछ विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है, वह राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर ही है। सन् १९६७ में जब भारतीय-क्रान्ति-दल बना और दो साल के बाद जब उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए, तो हमारे विजयी ९९ सदस्यों में से ११ मुसलमान थे और काँग्रेस के २१० विजयी सदस्यों में केवल १३ मुसलमान थे। सन् १९७७ में जो मुसलमान संसद-सदस्य उत्तर प्रदेश से जीते, वे सभी पुराने भारतीय लोक दल के ही थे।

प्रश्न—शुरू में काँग्रेस छोड़ने वाले इनेगिने व्यक्तियों में आप भी हैं। इसका क्या कारण है ?

मैं उत्तर प्रदेश का राजस्व मंत्री था और यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था। पडित नेहरू सहकारी खेती शुरू करवाना चाहते थे। मैं उनसे सहमत नहीं था। इस पर वे मुझसे नाराज हुए। इसी कारण कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन आया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमन्त्री बना दिया जो दो बार चुनाव में हार गया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं मुख्यमन्त्री बनूँ। तभी से मुझ पर अत्यधिक महत्वाकांक्षी और प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाया गया। मेरी भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, किन्तु ऐसी व्यवस्था और प्रशासन में कुछ बनने की जहाँ सभी लोग सुख और शान्ति से रह सकें।

प्रश्न—देश की उद्योग नीति के बारे में कुछ बताइए।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि देश में जितना जरूरी हो उतने ही बड़े उद्योग होने चाहिए और उनमें ऐसी वस्तुयें बनाई जायें जो लघु अथवा कुटीर उद्योगों में न बनाई जा सकती हों। इस आशय का प्रस्ताव जनता पार्टी की कार्यसमिति में पारित भी हो चुका है।

बड़े कारखानों के कारण न तो कीमतें सस्ती हो रही हैं और न सही अर्थों में औद्योगीकरण हो रहा है। और फिर जनाब, इन कारखानों में मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, ओवर-सियर हैं, इंजीनियर हैं, इस तरह जाने कितने-कितने टेक्नी-शियन हैं और अफसर है। तो यह एक नयी क्लास है, जो बड़े कारखानों से पैदा हुई है और मालिक के मुनाफे का अधिकाँश हिस्सा यही लोग ले जाते हैं। इन लोगों की क्या जरूरत है ? यदि बड़े कारखानों से देश मालदार होता तो बिहार कभी का मालदार हो गया होता। खेत की पैदावार बढ़ने से ही देश मालदार होता है। हमारी असल समस्या फी आदमी पैदावार बढ़ाने की नहीं है, हमारी समस्या फी इकाई पूँजी यानी फी रुपया—और फी एकड़ जमीन की पैदावार बढ़ाने की है।

प्रश्न—जिन क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, उनके बारे में आपकी क्या नीति होगी ?

अब जिनका राष्ट्रीयकरण हो गया है तो हो गया है। जापान में भी यही हुआ था। लेकिन बाद में वहाँ की दूसरी सरकार ने वहाँ के कारखाने निजी क्षेत्र के लोगों को बेच दिये। फल यह हुआ कि जापान में उत्पादन एकदम बढ़ गया।

प्रश्न—सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिये जाने पर फिर उनमें हड़तालें होगी, असंतोष बढ़ेगा और उत्पादन कम होगा। इससे एक विरो-धाभास की स्थिति पैदा होगी।

मेरे नक्शे में तो हड़ताल का काम ही नहीं है, भैया ! जब छोटी इकाइयाँ होगी तो हड़तालें कहाँ से होगी ? जितने कारखाने आज बढ़ रहे हैं, वे भी कम हो जाएँगे और

आधे तो उसमें बन्द ही हो जाएंगे। और यदि चलते रहेंगे तो बाहर माल बेचेंगे, इससे फारेन एक्सचेंज कमायेंगे।

प्रश्न—आपके विचार को सुनने के बाद हमें लगा कि उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है।

हाँ, अगर मेरी चल गयी तो जरूर काँति होगी और आप सारा नक्शा बदला पायेंगे।

प्रश्न—विदेशी सम्बन्धों के बारे में आपके क्या विचार हैं? रूस और अमेरिका आदि से आप कैसे सम्बन्ध रखना चाहते हैं?

हम सभी देशों से सम्बन्ध रखना चाहते हैं, परन्तु वहाँ की व्यवस्था से नहीं। रूस से हमारी मित्रता है, किन्तु वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था से नहीं। हम अमेरिका से भी अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से हमारे सभी मित्र समान हैं। किसी देश से कोई विशेष या अतिरिक्त सम्बन्धों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सम्बन्ध तो हमारे अपने देश से ही हो सकते हैं। विदेशी सम्बन्धों में राष्ट्रहित का विचार सर्वोपरि होना चाहिए।

प्रश्न—दक्षिण में जनता पार्टी की हार और इन्दिरा काँग्रेस की जीत के बारे में आपको क्या कहना है?

लोगों की किसी कमी के कारण ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसकी जिम्मेदारी जनता पार्टी के संगठन पर है। वहाँ कोई संगठन ही नहीं था। चुनाव से कुछ ही दिन पूर्व राज्य स्तर पर कुछ संगठन बना था, किन्तु जिला स्तर पर नहीं। इसलिए हम मतदाताओं तक पहुँच ही नहीं सकते थे। यही कारण है कि उन्होंने हमारी नीतियों को समझा ही नहीं। यह असफलता पार्टी के असंगठित स्वरूप के कारण हुई। फिर, जनता पार्टी के बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले काँग्रेसी रह चुके थे और इमरजेन्सी के दौरान उनकी बदनामी थी और उस समय जो कुछ-अत्याचार अनाचार हुआ उसमें वे सहयोगी थे। जनता पार्टी का जन्म ही इमरजेन्सी की इन ज्यादतियों के विरुद्ध हुआ अतएव इस पार्टी के ऐसे लोग कैसे जीत सकते थे जिनका सम्बन्ध उन दिनों के अन्याय और अत्याचार से रहा हो। आश्चर्य की बात है कि आन्ध्र में जनता पार्टी के २६० उम्मीदवारों में १२० भूतपूर्व काँग्रेसी थे जिनमें से केवल आठ ही जीत सके।

प्रश्न—क्या इस सम्बन्ध में आप श्रीमती इन्दिरा गाँधी की लोकप्रियता को भी महत्व देते हैं?

महाराष्ट्र की अनेक सभाओं में श्रीमती गाँधी ने रोना रोया और देर से पहुँचने का कारण यह बताती थीं कि जनता सरकार उनके आने-जाने में तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित करती है। कई जगह उन्होंने अपने कथित अभावों का भी रोना रोया। किन्तु दक्षिण में कुछ आंशिक सफलता के बावजूद मैं नहीं समझता कि इन्दिरा गाँधी अब कोई राजनीतिक शक्ति रह गई हैं। वे भले ही इधर-उधर जाती हैं तो लोग उनके पास लोकप्रियता के कारण नहीं, बल्कि उत्सुकता के कारण आते हैं। वे फिर से कभी सत्ता में नहीं आ सकतीं और यदि सत्ता में आने के प्रयास में वे या उनकी पार्टी कोई अनुचित कार्यवाही करेगी तो हम उसका हर स्तर पर मुकाबला करेंगे। अगर यह कानून और व्यवस्था का सवाल हुआ तो उससे भी सख्ती से निपटेंगे। लेकिन मेरी सख्ती का मतलब यह नहीं कि जो अत्याचार उनके समय में हुए, उसकी पुनरावृत्ति हो। हमारे सामान्य कानून सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए समर्थ हैं।

प्रश्न—कुछ लोग तीसरी राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं।

यह तथाकथित शक्ति तब तक नहीं उभर सकती, जब तक जनता पार्टी नहीं टूटती और मै नहीं समझता कि जनता पार्टी टूटेगी। फिर भी अगर कुछ लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे स्वयं समाप्त हो जाएँगे।

'परंतप' परिवार ने माननीय चौधरी चरण सिंह को. उनकी स्पष्ट-वादिता और प्रश्नो के दिए गए उत्तरों के प्रति आभार प्रकट करते हुए यह आशा व्यक्त की कि, देश की इस संकटापन्न स्थिति में जनता पार्टी एकता कायम रख कर देश को ऐसी दिशा देगी, जिससे सुख समृद्धि एवं संयम का साम्राज्य पनप सकेगा और विषमतायें दूर होंगी।

विविध